

अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका

नवीन सामाजिक शोध

संस्थापक प्रधान संपादक
स्व. डॉ. जी. सी. सक्सेना

●—●

प्रधान संपादक
राजेन्द्र सक्सेना

●—●

प्रबंध संपादक
अभिजीत सक्सेना

●—●

संपादक
श्रीमति सविता सक्सेना

●—●

उप संपादक
डॉ. संजय अग्रवाल (चिकित्सक)

डॉ. संतोष धुर्वे (समाजशास्त्री)

डॉ. विजय दुबे (साहित्य) एच्.

●—●

●—●

डॉ. अनुपमा सुरेश

●—●

शोध अधिकारी

डॉ. यू.पी.शुक्ला

●—●

ग्राफिक्स

राज यादव

वर्ष - 10 अंक - 5 (कुल अंक 112) जुलाई 2018

R.N.I. M.P.HIN/2009/29572

ISSN-0975-4431

संस्थापक प्रधान संपादक: स्व. डॉ. जी. सी. सक्सेना

संपादक: राजेन्द्र सक्सेना, अभिजीत सक्सेना, श्रीमति सविता सक्सेना

E-mail : naveensamajikshodh@yahoo.com

website : www.naveensamajikshodh.com

विदेशों में क्षेत्रीय कार्यालय : (विदेशी विषय विशेषज्ञ संपादक)

1. डॉ. राम भारद्वाज चिकित्सक

पो. बॉ. नं. 161, पोस्टल कोड नं. 119, सहम सुल्तानेट ऑफ ओमान

2. प्रो. डॉ. सुधाकर कोटा अर्थशास्त्री

प्रोफेसर इकोनॉमिक्स एण्ड मार्केटिंग, स्कॉर्लैरॉइन यूनिवर्सिटी, शारजाह, यूएई

3. कविता शुक्ला असिस्टेंट प्रोफेसर,

111, शेख रशीद बिल्डिंग, शेख जावेद रोड, यूएई, दुबई

4. डॉ. प्रिंस डेविड दंत चिकित्सक

11, ओलिवेस्ट एवेन्यू, माउंट रोस्किल, ओकलेण्ड 1041, न्यूजीलैण्ड

5. श्री सजय चतुर्वेदी

स्टेनफोर्ड, यूनिवर्सिटी, थाईलैण्ड

6. श्रीमति ऋति चतुर्वेदी, कनाडा

7. श्रीमति प्रतिभा, कनाडा

8. डॉ. उमेश रस्तोगी, संत

सदस्यता शुल्क : देश में : साधारण अंक 50/- वार्षिक : 500 /-

आजीवन सदस्यता : 5000 /-

विदेशों में : साधारण अंक : 9 डॉलर, वार्षिक : 90 डॉलर

सारे भुगतान (मनीऑर्डर/चेक/ड्राफ्ट) नवीन सामाजिक शोध के नाम से लिखे जायेंगे।

चेक पे भुगतान करने पर रु. 30/- अतिरिक्त भेजें।

स्वयंसाधिका, पुस्तक, प्रकाशक : राजेन्द्र सक्सेना द्वारा राजा प्रिंटिंग प्रेस, प्लॉट नं.2 लाला लालन

राव कालोनी, आगदिल कुरातवागा भोपाल (म.प्र.) से मुद्रित एवं 25, रूप नगर कॉलेज रोड, को.

रोड, भोपाल-462 023 (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक - श्रीमति सविता सक्सेना।

सभी लेखों में लेखकों के अपने मौखिक विचार हैं। संपादक अथवा संपादक मंडल का उनसे सहमत

होना आवश्यक नहीं है। हमारा संपादक मंडल पूर्णतः अनैतिक एवं अध्यात्मिक है। कृपया की

मित्रता में सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।

नवीन सामाजिक शोध

इस अंक में

1. TEMPERATURE AND HUMIDITY.....Syed Bakhtiyar Aarij –6
2. COORDINATE MEASURING ROBOT.....Syed Bakhtiyar Aarij –18
3. पर्यावरण संरक्षण के..... श्रीमती अन्नू बाडकुल –29
4. भारत में प्रथम लोकसभा.....डॉ.आर.जी.पटेल –35
5. विवेकानन्द का योगदान.....श्री हरीराम –41
6. सूचना व संचार प्रौद्योगिकीराममणि द्विवेदी –47
7. म.प्र.के औद्योगिक विकास में...मुल्याकन..... ज्योति विश्वकर्मा –53
8. म.प्र.के औद्योगिक विकास.....ज्योति विश्वकर्मा –59
9. ग्राम शिक्षा समिति,पालक संघ एवं.....शिवकुमार सेजकर –67
10. ग्रामीण विकास में अशासकिय.....सपन रॉय –73

सलाहकार मंडल

- प्रो. डॉ. आर्ह.एस. चौहान पूर्व कुलपति, वरफतवस्ताह एरु
मोच विश्वविद्यालय मोपाल-म.प्र. | फोन: 0755-2424777
- प्रो. डॉ. विनोद पी. सक्सेना , पूर्व कुलपति, चीवाची विश्वविद्यालय
ग्वाशियर म.प्र. | फोन 0755-2628055
- प्रो. डॉ. संतोष कुमार श्रीवास्तव
पूर्व कुलपति डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर-म.प्र.
- प्रो. डॉ. राजपाल सिंह सदस्य सलाहकार यूनीसी (उच्च शिक्षा)
भारत सरकार मो. 9425028689
- ,डॉ.आर.एम श्रीवास्तव पूर्व प्रार्चय, मोतीलाल विज्ञान महा विद्यालय
मोपाल मध्यप्रदेश मानव मो.9826286410

संपादकीय**UGC को खत्म कर नया एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए सरकार ने मांगे सुझाव**

इसे लेकर एचआरडी मंत्रालय ने विभिन्न शिक्षाविदों, शिक्षा से जुड़े पक्षकारों एवं आम लोगों से सुझाव मांगे हैं।

UGC को खत्म कर नया एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए सरकार ने मांगे सुझाव केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय(एचआरडी) ने **UGC** को खत्म कर एक नए एजुकेशन सिस्टम को शुरू करने की तैयारी में है। इसे लेकर एचआरडी मंत्रालय ने विभिन्न शिक्षाविदों, शिक्षा से जुड़े पक्षकारों एवं आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। गौरतलब है कि सुझाव देने की समय सीमा 7 जुलाई 2018 तक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था बनाने की दिशा में नियामक एजेंसियों में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की पहल की है। इस उद्देश्य से नियामक ढांचा तैयार करने और यूजीसी अधिनियम के पुनर्गठन के लिये बजट में भी घोषणा की गई थी।

ध्यान हो कि सरकार ने उच्च शिक्षा में सुधार की कवायद के तहत कई कदम पहले ही उठाये गए हैं जिसमें नैक सुधार, विश्वविद्यालयों को ग्रेड के अनुरूप स्वायत्ता संबंधी नियमन, कॉलेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना, दूरस्थ शिक्षा के लिये नियमन, आनलाइन डिग्रियों के नियमन शामिल हैं। एचआरडी मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि यह मसौदा अधिनियम सरकार के नियामक प्रणाली में सुधार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इसमें शिक्षा प्रणाली के समग्र विकास और अधिक स्वायत्ता प्रदान करने की पहल पर जोर दिया गया है।

इसमें मुख्य रूप से अनावश्यक जांच की व्यवस्था को समाप्त कर मेधा के आधार पर निर्णय लेने और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। गौरतलब है कि यूजीसी ने कुछ दिन पहले ही कॉलेज को लेकर नया नियम लागू किया था। इसके तहत यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में टीचरों की भर्ती व प्रमोशन के लिए न्यूनतम योग्यता को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं। इन नए नियमों के मुताबिक अब पीएचडी को अनिवार्य कर दिया गया है।

साथ ही पीएचडी और एमफिल कर रहे स्टूडेंट को भी भत्ता मिलेगा। ऐसा उच्च शिक्षा के स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए किया गया है। तृष्ट को उम्मीद है कि इससे कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अच्छे व टैलेंटेड टीचरों को बनाए रखने और आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

TEMPERATURE AND HUMIDITY SENSING ROBOTIC HAND

Syed Bakhtiyar Aarij,

Prof. Arun Patel

Department of Mechine Design & Robotics

NRI Institute of Information Science and Technology,

Bhopal

ABSTRACT

The main objective of this paper is to make a robotic hand which sense temperature and humidity of the object, which is to be grabbed and perform further operation if the temperature and humidity are within the limit.

It can be used to assist people who are disabled and are unable to perform some tasks.

It may also be used for monitoring temperature and humidity changes. In near future, it can also be used in different industries.

Another objective is to study and build an automatic system using microcontroller and it's interfacing with other devices.

INTRODUCTION

The paper "temperature and humidity control robotic hand" control robot automatically, the system is controlled using Arduino(microcontroller)

Arduino are increasingly being used to implement control system since the system is intended to control the whole robot, it is therefore important to understand Arduino controlled system well.

Nowadays with the advancement of technology particularly in the field of micro-controllers, all the activities in our day-to-day living have become part

of information technology and we find controllers in each and every application. Thus, the trend is directing towards micro-controller based paper works. A micro-controller contains a CPU, clock circuitry, ROM, Ram and I/O circuitry on a single integrated circuit package.

The purpose of this paper work is to present control theory that is relevant to the analysis and design of controlled systems, with an emphasis on basic concepts and ideas. It is assumed that a digital micro-controller chip with reasonable software is available for computations and simulations so that many tedious details can be left to the micro-controller. The control system design is also carried out up to the stage of implementation in the form of micro-controller programs.

In this paper work, the program is written in C language and facilities the display of temperature and humidity and according to the temperature and humidity arduino gives input signal to the servo motors, whether to operate or not.

This robot uses Arduino Uno which is a rewritable microcontroller.

The DHT sensor sense the temperature and humidity then send this data to Arduino Uno which shows this data to LCD and uses this data to for further judgment. This robot first sense the temperature of the object if the temperature is in our favorable range then the finger of robotic hand will grab the object then middle arm of robot moves upward to 140 degree then bottom axis of robot will rotate about 180 degree then middle arm moved downward and fingers of hand releases the object.

EXISTING SYSTEM

Many existing system for temperature monitoring and controlling generally uses micro-controller ATMEL 89C51 (μ c 8051). It does the same job by using additional devices. The microcontroller-controlled system contains essentially four parts, i.e., the process, the analog to digital converter, the control algorithm, and the clock. The times when the measured signals are con-

verted to digital form are called the sampling instants; the time between successive samplings is called the sampling period and is denoted by h . The output from the process is a continuous time signal. The output is converted into digital form by the A - D converter. The conversion is done at the sampling times.

Problem Associated With Existing System

Due to using micro controller 8051 the process of making whole device becomes not only very complex but also difficult and tedious. For operation it requires A-D converter, external clock, microcontroller development board.

Consequently, the problems are as follows:-

- a) It takes comparatively more time to process.
- b) It requires additional devices for operation.
- c) It requires external clock.
- d) Programming for microcontroller 8051 is difficult.
- e) For programming it requires development system.
- f) Circuit size becomes large.
- g) PCB making becomes complex, difficult and tedious.

PROPOSED SYSTEM

Existing system uses ATMEL 89C51 has many disadvantages as seen above in the section 1.3 above; to overcome these problems we use another advanced microcontroller called Arduino (ATmega8). It has in built with many components like analog to digital converter, clock of 16 MHz, shift registers.

In this system we uses temperature sensor DHT11, to use to detect temperature and humidity. 16x2 LCD is used to display the output i.e. surrounding temperature of DHT11 in both degree centigrade and Fahrenheit units.

At the same time it also sends the data to Arduino, if the temperature is not in our programming range then will not do anything and if the temperature is in our favorable range then robot will perform a predefined motion.




Fig. Block diagram for proposed system

REQUIREMENT ANALYSIS

This paper is based on both hardware and software. The requirements are as follows:

A. Arduino

Arduino is an open-source platform used for building electronics projects. Arduino consists of both a physical programmable circuit board (often referred to as a microcontroller) and a piece of software, or IDE (Integrated Development Environment) that runs on your computer, used to write and upload computer code to the physical board.

The Arduino platform has become quite popular with people just starting out with electronics, and for good reason. Unlike most previous programmable circuit boards, the Arduino does not need a separate piece of hardware (called a programmer) in order to load new code onto the board - you can simply use a USB cable.

Additionally, the Arduino IDE uses a simplified version of C++, mak-

ing it easier to learn to program. Finally, Arduino provides a standard form factor that breaks out the functions of the micro-controller into a more accessible package.

The Arduino is a microcontroller board based on the ATmega8. It has 14 digital -input/output pins (of which 6 can be used as PWM outputs), 6 analog inputs, a 16 MHz ceramic resonator, a USB connection, a power jack, an ICSP header, and a reset button. It contains everything needed to support the microcontroller; simply connect it to a computer with a USB cable or power it with an AC-to-DC adapter or battery to get started.

The Uno differs from all preceding boards in that it does not use the FTDI USB-to-serial driver chip. Instead, it features the Atmega16U2 (Atmega8U2 up to version R2) programmed as a USB-to-serial converter. Revision 2 of the Uno board has a resistor pulling the 8U2 HWB line to ground, making it easier to put into DFU mode.

Revision of the board has the following new features:

☛ 1.0 pin and two other new pins placed near to the RESET pin, the IOREF that allow the shields to adapt to the voltage provided from the board. In future, shields will be compatible with both the board that uses the AVR, which operates with 5V and with the Arduino.

Due that operates with 3.3V. The second one is a not connected pin that is reserved for future purposes.

- ☛ Stronger RESET circuit.
- ☛ AT mega 16U2 replace the 8U2.

"Uno" means one in Italian and is named to mark the upcoming release of Arduino 1.0. The Uno and version 1.0 will be the reference versions of Arduino, moving forward. The Uno is the latest in a series of USB Arduino

boards, and the reference model for the Arduino platform.



B temperature sensor DHT11.


It consists of a humidity sensing component, a NTC temperature sensor (thermistor) and an IC on the back side of the sensor. For measuring humidity they use the humidity sensing component which has two electrodes with moisture holding substrate between them. So as the humidity changes, the conductivity of the substrate changes and the resistance between these electrodes change. This change in resistance is measured and processed by the IC which makes it ready to be read by a microcontroller.

On the other hand, for measuring temperature these sensors use a NTC temperature sensor or a thermistor. A thermistor is actually a variable resistor that changes its resistance with change of the temperature. These sensors are made by sintering of semi conductive materials such as ceramics or polymers in order to provide larger changes in the resistance with just small changes in temperature. The term "NTC" means "Negative Temperature Coefficient", which means that the resistance decreases with increase of the temperature.

The DHT11 measures relative humidity. Relative humidity is the amount of water vapor in air vs. the saturation point of water vapor in air. At the saturation point, water vapor starts to condense and accumulate on surfaces forming dew.

The saturation point changes with air temperature. Cold air can hold less water vapor before it becomes saturated, and hot air can hold more water vapor before it becomes saturated. Relative humidity is expressed as a percentage. At 100% RH, condensation occurs, and at 0% RH, the air is com-

pletely dry.



C. Liquid Crystal Display (LCD)

LCD (Liquid Crystal Display) screen is an electronic display module and find a wide range of applications. A 16x2 LCD display is very basic module and is very commonly used in various devices and circuits. These modules are preferred over seven segments and other multi segment LEDs. The reasons being:


LCDs are economical; easily programmable; have no limitation of displaying special & even custom characters (unlike in seven segments), animations and so on.

A 16x2 LCD means it can display 16 characters per line and there are 2 such lines. In this LCD each character is displayed in 5x7 pixel matrix. This LCD has two registers, namely, Command and Data. The command register stores the command instructions given to the LCD. A command is an instruction given to LCD to do a predefined task like initializing it, clearing its screen, setting the cursor position, controlling display etc. The data register stores the data to be displayed on the LCD. The data is the ASCII value of the character to be displayed on the LCD.

D.Servo motor

A servo consists of a Motor (DC or AC), a potentiometer, gear assembly and a controlling circuit. First of all we use gear assembly to reduce RPM and to increase torque of motor. Say at initial position of servo motor shaft, the position of the potentiometer knob is such that there is no electrical sig-

nal generated at the output port of the potentiometer. Now an electrical signal is given to another input terminal of the error detector amplifier. Now difference between these two signals, one comes from potentiometer and another comes from other source, will be processed in feedback mechanism and output will be provided in term of error signal. This error signal acts as the input for motor and motor starts rotating. Now motor shaft is connected with potentiometer and as motor rotates so the potentiometer and it will generate a signal. So as the potentiometer's angular position changes, its output feedback signal changes. After sometime the position of potentiometer reaches at a position that the output of potentiometer is same as external signal provided. At this condition, there will be no output signal from the amplifier to the motor input as there is no difference between external applied signal and the signal generated at potentiometer, and in this situation motor stops rotating.



DESIGN AND PLANNING

A. Process Model

In this section we design structure of the system before implementation of circuit. We use advanced microcontroller called Arduino (ATmega8). It has in built with many components like analog to digital converter, clock of 16 MHz, shift registers.

In this system we uses temperature sensor DHT11 to use to detect temperature and humidity and send this data to Arduino. Arduino send this signal

to 16×2 LCD which shows temperature and humidity continuously and then according to our program(code) it will check if the temperature is in favorable range and if the value is in our range then robot will perform other actions, In this manner it monitors and controls the temperature.



DATA FLOW DIAGRAM

IMPLEMENTATION

In this section we design temperature monitoring and controlling system. We used temperature sensor DHT11. It consist of a humidity sensing component, a NTC temperature sensor (or thermistor) and an IC on the back side of the sensor. For measuring humidity they use the humidity sensing component which has two electrodes with moisture holding substrate between them. So as the humidity changes, the conductivity of the substrate changes or the resistance between these electrode changes. This change in resistance is measured and processed by the IC which makes it ready to be read by a microcontroller.

On the other hand, for measuring temperature these sensors use a NTC temperature sensor or a thermistor. A thermistor is actually a variable resistor that changes its resistance with change of the temperature. These sensors are made by sintering of semi conductive materials such as ceramics or polymers in order to provide larger changes in the resistance with just small changes in temperature. The term "NTC" means "Negative Temperature Coefficient", which means that the resistance decreases with increase of the temperature.

Arduino Uno sends out this data for displaying temperature and humidity on 16x2 LCD. And if the temperature is in our favorable range then servo motor and robotic hand will grab the object from one possible to another.

A 16X2 LCD is connected with microcontroller as shown in circuit diagram (fig.3.1). Pin 1 is connected to ground and pin 2 is connected to vcc through Arduino. On pin 3 a 10k ohms for adjusting the brightness of LCD screen. RS and Enable pin is connected to pin 12 and 11 respectively for communication with Arduino. LCD displays temperature in both units degree Celsius and also in degree Fahrenheit. At the same time Arduino sends control bit 0 or 1 on the digital port 6. This bit is used for controlling part. For bit 0 Arduino sends 0V and for bit 1 it sends 5V at the output. Once, temperature goes below the set point, Thus temperature gets monitored and controlled by this paper.

RESULT

As paper names Temperature controlling it gives two outputs. One is displaying temperature on LCD screen. And second one is given to servo motors which perform other robotic hand operations.

- a) When temperature is below set point (i.e. 33 degree Celsius) hand will not move.
- b) When temperature is in programmed range (i.e.33 to 40 degree Celsius) robotic hand will move.
- c) When temperature is above the set range (i.e. 33 to 40 degree Celsius) hand will not move.

CONCLUSION

In our paper, we designed and implemented an efficient temperature monitoring and controlling system with an Arduino board. Output was verified by setting the temperature at different levels and it was found that the robotic hand is on and off on the set values. It is very useful for the people who are dis-

abled. There is still much room for future development that would enhance the system and increase its business values.

REFERENCES

- [1] DESIGN AND ANALYSIS OF AN ARTICULATED ROBOT ARM FOR VARIOUS INDUSTRIAL APPLICATIONS by S.Pachaiyappan (IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE) eISSN: 2278-1684, p-ISSN : 2320-334X PP 42-53)
- [2] K.Salibury and C Ruoff(1981) "The Design and Control of a Dexterous Mechanical Hand" Proc. 1981 ASME Computer Conference, Minneapolis, MN, USA
- [3] A.R.Zinc, J J Kyriakopoulos(1993), "Dynamic Modeling and Force/Position Control of the Anthrobot Dexterous Robot Hand", Proc of the IEEE Conf. on Decision and Control.
- [4] Samuel Ndueso John, Charles Ndujiuba, Oladeinde Ifedayo Oluwaseyi, Ibeanu Charity Onyinye, "Design and Implementation of a Microprocessor based Temperature Controller with Real Time Display", International Conference Comp., Energy, Net., Robotics and Telecom, pp.14-18, 2012.
- [5] Yang Cao, Chaochao Zhong, Kaiwen Qiu, "Design and Experiment About Temperature Control System Of Sealing Machine Based On Fuzzy PID", 8 th International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics, pp. 308-311, 2016 IEEE.
- [6] James S. McDonald, "Temperature Control Using a Microcontroller: An Interdisciplinary Undergraduate Engineering Design Project", 1997 Frontiers in Education Conference, pp. 1620-1624, 1997 IEEE.
- [7] Hitu Bansal, Dr. Lini Mathew, Ashish Gupta, "Controlling of Temperature and Humidity for an Infant Incubator Using Microcontroller", International Journal of Advanced Research in Electrical and Electronics and Instrumentation Engineering, vol. 4, no. 6, pp. 4975-4982, June 2015.

[8] Nwankwo Nonso Prince , Alumona Theophilus , Onwuzulike Daniel .A., Nwankwo Vincent, "Design and Implementation of Microcontroller based Automatic Fan Speed Regulator (Using Temperature Sensor)", International Journal of Engineering Research and Management (IJERM), vol. 01, no.5, pp. 202-208, August 2014.

[9] Aakanksha Pimpalgaonkar, Mansi Jha, Nikita Shukla, Kajol Asthana, "A Precision Temperature Controller using Embedded System", International Journal of Scientific and Research Publications, vol.3,no.12, pp.1-3, December 2013

COORDINATE MEASURING ROBOT USING LASER SENSOR

Syed Bakhtiyar Aarij,
Prof. Arun Patel
Department of Mechine Design &
Robotics
NRI Institute of Information
Science and Technology, Bhopal

ABSTRACT

The main objective of this paper is to make a robot which can determine the surface shape of an object. A laser distance measuring sensor is used in making the robot which measures the distance of object at a particular point. Laser distance module measure the distance of target objects or materials through the air using "non-contact" technology. They measure distance without damage and are easy to use. A microcontroller named Arduino is used which senses the environment by receiving input from a variety of sensors. The output signals received by the sensor are formatted and processed by microcontroller.

INTRODUCTION

The paper "COORDINATE MEASURING ROBOT USING LASER SENSOR" tells us study about analysing the shape of surface of the object kept in front, the system is controlled using Arduino(microcontroller) Arduino are increasingly being used to implement control system since the system is intended to control the whole robot, it is therefore important to understand Arduino controlled system well.

Nowadays with the advancement of technology particularly in the field of micro-controllers, all the activities in our day-to-day living have become part of information technology and we find controllers in each and every application. Thus, the trend is directing towards micro-controller based paper works. A micro-controller contains a CPU, clock circuitry, ROM, Ram and I/O circuitry on a single integrated circuit package.

The purpose of this paper work is to present control theory that is relevant to the analysis and design of controlled systems, with an emphasis on basic concepts and ideas. It is assumed that a digital micro-controller chip with reasonable software is available for computations and simulations so that many tedious details can be left to the micro-controller. The control system design is also carried out up to the stage of implementation in the form of micro-controller programs.

In this paper work, the program is written in C language and facilities the display of temperature and humidity and according to the temperature and humidity arduino gives input signal to the servo motors, whether to operate or not.


This robot uses Arduino Uno which is a rewritable microcontroller. The laser module VL53L0 uses ST's Flight Sense technology to precisely measure how long it takes for emitted pulses of infrared laser light to reach the nearest object and be reflected back to a detector, so it can be considered a tiny, self-contained lidar system. This time-of-flight (TOF) measurement enables it to accurately determine the absolute distance to a target without the object's reflectance greatly influencing the measurement. The sensor can report distances of up to 2 m (6.6 ft) with 1 mm resolution, but its effective range and accuracy (noise) depend heavily on ambient conditions and target characteristics like reflectance and size, as well as the sensor configuration.

(The sensor's accuracy is specified to range from $\pm 3\%$ at best to over $\pm 10\%$ in less optimal conditions.)

EXISTING SYSTEM

Ultrasonic Sensor

Ultrasonic Sensors work on the principle of reflected sound waves and are used to measure distance. One sensor can detect others operating nearby. Sound waves are emitted by the ultrasonic sensor and they're reflected back if there is an object in front of it. The sensor detects these waves and measures the time it takes between transmitting and receiving those sound waves. Distance is then estimated by the time interval between sensor and object.



Disadvantages of ultrasonic rangefinders

- ☛ Requires the user to very closely control the measurements due to the risk of errors resulting from reflections from random items / objects - ultrasonic rangefinders work best in empty rooms or in the open air
- ☛ Very low accuracy
- ☛ Limited use in engineering applications
- ☛ Low efficiency measurement for objects reflecting the signal at a high angle

PROPOSED SYSTEM

How LASER Sensors Work

A Laser Distance Meter sends out a finely focused pulse of light to the target and detects the reflection. The meter measures the time between those two events, and converts this to a distance. The formula is simple: Distance = Δ (Speed x Time). However the speed of light is 300,000 km per second, so to resolve differences of (say) 1 cm, the meter must measure time intervals of the order of billionths of a second. But don't worry - the technology is well established and reliable! A laser distance meter can measure distances of up to 30m with an accuracy of ± 3 mm. An Ultrasonic Distance Meter works on a similar principle, but instead of light it uses sound with a pitch too high for the human ear to hear. The speed of sound is only about $\frac{1}{3}$ of a km per second, so the time measurement is easier.

Advantages of laser rangefinder

- ☛ Very high accuracy (eg. 1 mm, phase range finders) Measuring with a laser beam.
- ☛ High reliability of the measurements in difficult terrain and obstacles.
- ☛ A very large range coming up to over 1,000 m (pulse rangefinders).
- ☛ High efficiency measurement for objects reflecting the signal at a high angle.
- ☛ Visible laser spot, which serves as an indicator and facilitates targeting.
- ☛ Speed of operation - laser rangefinder measure several meters distance in about 1 second.
- ☛ Very high accuracy (eg, 1 mm, phase range finders) Measuring with a laser beam
- ☛ High reliability of the measurements in difficult terrain and obstacles
- ☛ A very large range coming up to over 1,000 m (pulse rangefinders)

- ☛ High efficiency measurement for objects reflecting the signal at a high angle
- ☛ Visible laser spot, which serves as an indicator and facilitates targeting
- ☛ Speed of operation - laser rangefinder measure several meters distance in about 1 second
- ☛ Integration with measurement and calculation and the usability of the designated length to
 - calculate other geometric values (e.g., surface area)
- ☛ Low energy consumption - taking even a few thousand measurements with 2 to 4 batteries

REQUIREMENT ANALYSIS

LASER SENSOR

This application is based upon the reflection of light. A laser distance meter sensor emits a pulse of laser at a target. The pulse then reflects off the target and back to the sending device (in this case, a laser distance meter). This "time of flight" principle is based on the fact that laser light travels at a fairly constant speed through the Earth's atmosphere. Inside the meter, a simple computer quickly calculates the distance to target. The distance between the meter and target is given by $D=ct/2$, where c equals the speed of light and t equals the amount of time for the round trip between meter and target. Given the high speed at which the pulse travels and its focus, this rough calculation is very accurate over distances of feet or miles but loses accuracy over much closer or farther distances. The output signals received by the sensor are formatted and processed by microcontroller.



Servo Motor

A servomotor is a rotary actuator / linear actuator that allows for precise control of angular or linear position, velocity and acceleration. It consists of a suitable motor coupled to a sensor for position feedback. It also requires a relatively sophisticated controller, often a dedicated module designed specifically for use with servomotors. Servomotors are used in applications such as robotics, CNC machinery or automated manufacturing. A servomotor is a closed-loop servomechanism that uses position feedback to control its motion and final position. The motor is attached with the sensor to find the distance range around the sensor for 1800 rotations. The motor is controlled and interfaced with Arduino microcontroller to rotate in clockwise and anticlockwise direction.



Arduino UNO

The Arduino Uno is an open-source microcontroller board based on the ATmega328. It has 14 digital input/output pins (of which 6 can be used as PWM outputs) and 6 analog input. It contains everything needed to support the microcontroller, and it can be simply connected to a computer with a Universal Serial Bus (USB) cable to get started. The Arduino Uno can be programmed with the Arduino Integrated Development Environment (IDE). The C-based simple program code for the Arduino is referred to as a sketch. Collection of sketches for specific functionalities is referred to as libraries. The Arduino can be programmed upto 32 KB memory. Arduino can function autonomously without being connected to a computer, or alternatively pro-


grammed to respond mainly to commands sent from the computer via various software interfaces or to the data acquired from the input channels. The Arduino UNO based on ATmega-328 Microcontroller

The ultrasonic sensor is attached with the servo meter. The servo motor rotates rotate in clockwise and anticlockwise direction. The sensor measure the distance around the sensor. The measured distance is calculated using Arduino controller within a predefined time interval. The analog output read from the sensor module is transferred to personal computer through serial port via Arduino. Photographs of the present project work.



RACK AND PINION

A rack and pinion is a type of linear actuator that comprises a pair of gears which convert rotational motion into linear motion. A circular gear called "the pinion" engages teeth on a linear "gear" bar called "the rack". Rotational motion applied to the pinion causes the rack to move relative to the pinion, thereby translating the rotational motion of the pinion into linear motion.



DESIGN AND PLANNING

In this section we design structure of the system before implementation of circuit. We use advanced microcontroller called Arduino (ATmega8). It has in built with many components like analog to digital converter, clock of 16 MHz, shift registers.

In this system we used laser distance sensing module to detect the distance of the object and send this data to microcontroller. We used rack and pinion for the vertical displacement of the laser with the help of servo motor. The vertical displacement we already know and horizontal displacement we will get by the laser sensor. Hence we will come to know the co-ordinate of the object at that point with respect to the robot's X and Y axis.

IMPLEMENTATION

In this section we implement the designed structure of the system. We used laser distance sensing module. A laser distance meter sensor emits a pulse of laser at a target. The pulse then reflects off the target and back to the sending device. This "time of flight" principle is based on the fact that laser light travels at a fairly constant speed through the atmosphere. Inside the meter, a simple computer quickly calculates the distance to target. It is the X co-ordinate we have calculated. The servo motor displaces the laser module in vertical direction. This distance is known to us and this is the Y co-ordinate of that point. These all actions are performed and processed by Arduino microcontroller. Hence in this way we have implemented all the planned data in the system.

RESULT

We obtained the co-ordinate of object in a line.

CONCLUSION

The objective of the project was to design and implement an ultrasonic dis-

tance meter. The device described here can detect the target and calculate the distance of the target. The ultrasonic distance meter is a low cost, low a simple device for distance measurement. The device calculates the distance with suitable accuracy and resolution. It is a handy system for non-contact measurement of distance. The device has its application in many fields. It can be used in car backing system, automation and robotics, detecting the depth of the snow, water level of the tank, production line. This device will also have its application in civil and mechanical field for precise and small measurements. For calculating the distance using this device, the target whose distance is to be measured should always be perpendicular to the plane of propagation of the ultrasonic waves. Hence the orientation of the target is a limitation of this system. The ultrasonic detection range also depends on the size and position of the target. The bigger is the target, stronger will be the reflected signal and more accurate will be the distance calculated. Hence the ultrasonic distance meter is an extremely useful device

REFERENCE

1. M. Ishihara, M. Shiina, S. Suzuki, "Evaluation of Method of Measuring Distance Between Object and Walls Using Ultrasonic Sensors", Journal of Asian Electric Vehicles, Volume 7, Number 1, June 2009.
2. Y. B. Gandole, "Simulation and data processing in ultrasonic measurements", Anadolu University Journal of Science and Technology, Vol.:12, No: 2, pp. 119-127, 2011
3. G. Benet, J. Albaladejo, A. Rodas, P.J. Gil, An intelligent ultrasonic sensor for ranging in an industrial distributed control system, in: Proceedings of the IFAC Symposium on Intelligent Components and Instruments for Control Applications, Malaga, Spain, May 1992, pp. 299-303.

4. G. Benet , F. Blanes, J.E. Simó, P. Pérez, Using infrared sensors for distance measurement in mobile robots, Else viewer , Robotics and Autonomous Systems 1006 (2002) 1-12.
5. Rajan P Thomas, Jithin K K, Hareesh K S, Habeeburahman C A, Jithin Abraham," Range Detection based on Ultrasonic Principle", February 2014.
6. Kirtan Gopal Panda*, Deepak Agrawal, Arcade Nshimiyimana, Ashraf Hossain, "The effects of environment on accuracy of ultrasonic sensor operates in millimetre range", 20 February 2016.
7. Ultrasonic ranging module HC-SR04 datasheet [online] accessed on 23/08/2016 [http://users.ece.utexas.edu/~valvano/Data sheets/HCSR04b.pdf](http://users.ece.utexas.edu/~valvano/Data%20sheets/HCSR04b.pdf).
8. H. He, and J. Liu, "The design of ultrasonic distance measurement system based on S3C2410," Proceedings of the IEEE International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation, Oct. 2008.
9. Shridevi A Mali¹, G Sravanthi^{2*}, Siva Subba Rao P³, Raja S³, Sushma S J¹, A R Reddy², Rohith P Maben³, "An Algorithm For Obstacle Avoidance Controller Using Ultrasonic Sensor For Mini Aircraft Applications" International Journal of Engineering Technology, Management and Applied Sciences, , Volume 5, Issue 3, March 2017.
10. "Arduino Uno" [https://en.wikipedia.org/ Wiki/Arduino](https://en.wikipedia.org/wiki/Arduino) accessed on 14/10/2017. [7] G Sravanthi¹, Shridevi A Mali², Siva Subba Rao P³, Intelligent Landing Technique Using Ultrasonic Sensor for Mav Applications, International Journal Of Pure And Applied Mathematics, Volume 114, No. 12 2017 .

11. P. Riseborough, "Automatic Take-Off and Landing Control for Small UAV's".
12. PankajAkuala, Ananda CM Dr Cm, "IR and Ultrasonic Sensors Characterization to aid in Altitude estimation during landing of MAV", 3rd International Conference on Recent Advances in Design, Development and Operation of MAV
13. J. Morales, J. L. Martínez, M. A. Martínez, and A. Mandow, EURASIP J. Adv. Signal Process 2009, 1-10 (2009)
14. M. Dekan and A. Vitko, Control Eng. Appl. Informatics 14, 50-57 (2012).
3. K. Lingemann, N. Andreas, J. Hertzberg, and H. Surmann, Rob. Auton. Syst. 51, 275-296 (2005).

पर्यावरण संरक्षण के प्रयास — एक अध्ययन

श्रीमती अन्नू बाडकुल
इतिहास विभाग
शासकिय महाविद्यालय
उदयपुरा जिला रायसेन

पर्यावरण संरक्षण के सतत प्रयास

आज का मानव मशीन की तरह कार्य करता है। उसने आणविक एवं जैविक हथियारों का विकास कर लिया है। वैज्ञानिकों ने इन अस्त्र-शस्त्रों के विकास के समय यह नहीं सोचा कि यदि इन विनाशकारी हथियारों का उपयोग किया जाएगा तो इस सृष्टि का क्या होगा? विश्व का तापक्रम बढ़ रहा है। जलवायु एवं मौसम में तेजी से परिवर्तन तथा समुद्री सतह ऊपर उठ रहा है। विज्ञान तो मानवीय मस्तिष्क की उपज है जो सही या गलत दिशा में कार्य कर सकती है। अगर विज्ञान को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की ओर उन्मुख करना है तो उसका समन्वय अध्यात्म से करना होगा।

विश्व में जहाँ तक जैव भंडार का प्रश्न है इसका अनुमान लगा पाना अत्यंत कठिन है। आज कितनी प्रजातियाँ लुप्त हो चुकी हैं या हो रही हैं यह भी कहना कठिन है। कई प्रजातियाँ तो उसकी खोज होने से पहले लुप्त हो चुकी हैं ऐसा अनुमान है कि पृथ्वी की सम्पूर्ण जैव विविधता का एक चौथाई भाग आने वाले 20-30 वर्षों में विलुप्त होने की सम्भावना है। इस प्रकार उष्ण कटिबन्धीय वन पृथ्वी के 7 प्रतिशत भू-भाग में फैला हुआ है परन्तु विश्व की आधे से अधिक प्रजातियाँ इन्हीं क्षेत्रों में मिलती हैं। एक अनुमान के अनुसार 2020 तक इन वनों के विनाश से 5-15 प्रतिशत प्रजातियाँ या 15,000-500,000 प्रजातियाँ प्रतिवर्ष या 40-140 प्रजातियाँ प्रतिदिन लुप्त होंगी। विश्व संरक्षण एवं अनुमापन केन्द्र कनाडा के अनुसार करीब 22,000 पादप तथा जीव-जन्तु वास्तव में विलुप्त होने के कगार पर पहुँच गए हैं। जैव विविधता में कमी का मुख्य कारण मानवीय क्रिया-कलाप, कृत्रिम परिवर्तन एवं पर्यावरणीय विनाश है।

पृथ्वी का तीन चौथाई भाग जल है, जिसमें 97 प्रतिशत सामुद्रिक खारा पानी तथा 3.00 प्रतिशत स्वच्छ जल है। इसका भी 77 प्रतिशत ध्रुवों एवं हिमानी के रूप में, 22 प्रतिशत भूमिगत

जल और शेष एक प्रतिशत नदियों, झीलों तथा तालाबों में पाया जाता है।

स्वच्छ जल से पादपों, जीव-जन्तुओं का पोषक होता है एवं जलीय जीव-जन्तुओं एवं पादपों का आवास बनाता है। इसके अतिरिक्त यह कृषि उद्योग तथा दैनिक जीवन में भी काम आता है। वर्तमान समय में विश्व में कृषि के लिये 68 प्रतिशत उद्योगों के लिये 24 प्रतिशत तथा दैनिक उपयोग, पशुओं, मनोरंजन तथा अन्य कार्यों में 08 प्रतिशत जल का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार भारत में 93.37 प्रतिशत कृषि, 1.08 प्रतिशत पशुओं 1.26 प्रतिशत उद्योगों और 3.13 प्रतिशत नगर पालिकाओं एवं ग्रामीण जल आपूर्ति के लिये किया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर के अनुसार देश का 80 प्रतिशत जल पीने लायक नहीं है। इसी प्रकार इ.पी.ए. अमेरिका के अनुसार वहाँ के पेयजल में 700 घुलित रसायन मिलते हैं जिनमें 129 रसायन हानिकारक हैं। समुद्री, भूमिगत तथा स्वच्छ जल के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत दैनिक एवं औद्योगिक उपयोग के बाद निकलने वाला अपशिष्ट जल है। इस अपशिष्ट जल की मात्रा तथा प्रकृति वहाँ की जनसंख्या के घनत्व, जीवन स्तर औद्योगीकरण तथा उद्योगों के प्रकार पर निर्भर करती है। ऐसा अनुमान है कि विश्व में लगभग 300 अरब घन मीटर अपशिष्ट जल समुद्र में प्रवाहित कर दिया जाता है।

मानव अधिवास

प्राचीन काल में हमारे देश में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, तक्षशिला, पाटलीपुत्र एवं नालन्दा जैसे अद्वितीय शहर हुए जिनकी कला एवं गुणवत्ता विश्व के अन्य शहर यथा काहिरा, रोम, कान-स्टेटिनोपोल से कम नहीं थे। प्रारम्भ से ही हमारे यहाँ पर्यावरण को महत्त्वपूर्ण माना गया है। दिन का प्रारम्भ सूर्य आराधना से शुरू होता है जोकि विश्व में जीवन का प्रमुख आधार है देश में नदियों को माता तथा हिमालय पर्वत को देवता तथा वनों को भगवान शिव की जटायें मानकर पूजा जाता है। इसी प्रकार किसी भी नवनिर्माण से पूर्व धर्म-शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन किया जाता है।

मानव का आवासीय पर्यावरण गाँव एवं शहर दोनों हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिये रहने योग्य उचित आवासीय व्यवस्था होना अनिवार्य है। इसके साथ पीने के लिये पानी, पशुओं के लिये आहार, मकानों में उठने-बैठने, सोने स्वच्छ हवा हेतु खिड़कियाँ दरवाजे रोशनदान, आस-पास स्वच्छता, आंगन में तुलसी का पेड़ तथा बाहर की ओर वृक्ष लताएँ लगी होनी चाहिए। जब तक ये सभी सुविधाएँ प्रत्येक परिवार को नहीं मिलेगी तब तक परिवार में अशांति का वातावरण बना रहेगा।

बढ़ती जनसंख्या

आज देश में 30 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं जो आज की प्रमुख चुनौती है। आज आवश्यकता है कि हम किस प्रकार का विकास मार्ग एवं आदर्श चुनें कि वह

पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास में सामाजिक रूप से न्याय मुक्त तथा सांस्कृतिक रूप से स्वीकार हो। गरीबी पर्यावरण के लिये एक चुनौती है परन्तु इन दोनों को हमें साथ-साथ लेकर चलना होगा क्योंकि ये दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। बढ़ती जनसंख्या हमारे बढ़ते हुए उत्पादन को भी प्रभावित करती है। गरीब वर्ग लगभग 85 प्रतिशत अपनी आय का भोजन पर व्यय करता है। योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक मनुष्य को 2300 कैलोरी ऊर्जा भोजन से प्रतिदिन प्राप्त होना चाहिए परन्तु इन गरीबों में से 20 प्रतिशत को भी 1500 कैलोरी से अधिक का भोजन नहीं प्राप्त हो पाता।

नगरीकरण एवं औद्योगीकरण

भारतीय नगरों में देश की 27 प्रतिशत (21.7 करोड़) जनसंख्या निवास करती है। 1991 की जनगणना के अनुसार देश में 3,500 नगर हैं जिनकी आबादी 5,000 से लेकर 10 लाख के ऊपर की है। आधी नगरीय जनसंख्या 23 महानगरों तथा छठवां भाग चार वृहद शहरों यथा दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में रहती है। ये बड़े नगरीय केन्द्र बहुत ही अमानवीय क्रियाकलापों एवं बीमारियों से ग्रसित गन्दी बस्तियों का विकास करते हैं। लगभग 27 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन-यापन कर रही हैं। महानगरों की जनसंख्या का 30-40 प्रतिशत भाग गंदी बस्तियों में रहता है, जिनमें 27 प्रतिशत को शुद्ध जल, 75 प्रतिशत को जल निकास व्यवस्था तथा बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण के शिकार हैं।

गन्दी बस्तियाँ ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों के प्रवास का प्रतिफल होता है। ऐसा अनुमान है कि लगभग 13,500 व्यक्ति प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में जाते हैं। ये प्रवासी ऐसा महसूस करते हैं कि "गाँव से गंदी बस्तियों में जाना एक समस्या नहीं बल्कि एक समाधान है," जिसमें उन्हें सस्ते मकान, रोजगार एवं परिवहन के साधन मिल जाते हैं।

पर्यावरण संरक्षण के उपाय जो कमाल कर सकते हैं

आप जानते हैं कि विविध कारणों से हमारा पर्यावरण लगातार नष्ट होता जा रहा है लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से जुनूनी लोग हैं जो इसे पर्यावरण संरक्षण के लिए जी-जान से प्रयास कर रहे हैं और उनका काम सतत व चुनौतीपूर्ण है। आज दुनिया में कुछ ऐसे होनहार इंजीनियर्स हैं जो वैकल्पिक ऊर्जा की नित नई व्यावहारिक योजनाएं सामने ला रहे हैं।

हम आपको ऐसी अत्याधुनिक ग्रीन टेक्नोलॉजी (छतममद जमबीदवसवहपमे) के बारे में बताएंगे जो हमारी भावी पीढ़ियों के भविष्य को निरापद (भंतउसमे) और सुखकर बनाने में सक्षम होंगी:-

1. कार्बन डाई-ऑक्साइड को साधना

हमारे पर्यावरण को बिगाड़ने में कार्बन डाई-ऑक्साइड के बढ़ते स्तर का सर्वाधिक योगदान है। कुछ

इंजीनियर्स यह मानते हैं कि हम वातावरण में मौजूद बंइवद क्पव•पकम को कुछ विधियों से खींचकर या सोखकर उसे द्रव अवस्था में पृथ्वी की सतह के भीतर स्टोर करके रख सकते हैं या आगे कभी उपयोग में ले सकते हैं. इस दिशा में अनेक लोग प्रयास कर रहे हैं तथा तकनीकों को विकसित कर रहे हैं.

2. व्यर्थ हो जानेवाली ऊष्मा का उपयोग

हाल ही में एक नई टैक्नोलॉजी सामने आई है जिसका संबंध विद्युत (मसमबजतपबपजल) से है. गाड़ियों के एग्जॉस्ट पाइप या एयर-कंडिशनर से निकलनेवाली ऊष्मा को कैद करके बिजली बनाने में उपयोग में लिया जा सकता है. इस काम में किस प्रकार की मिश्रधातुओं व सामग्री (ससवल उंजमतपंस) का उपयोग किया जाना चाहिए इसे लेकर अभी बहुत सी बातें स्पष्ट नहीं हैं लेकिन इसपर काम किया जा रहा है.

3. पानी को नमकरहित बनाना

दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पानी बहुत मूल्यवान है. बहुत से क्षेत्र पानी की कमी का संकट झेल रहे हैं. कई जगहों में पानी का खारापन दूर करने के लिए प्लांट लगाए गए हैं लेकिन उनका उपयोग बहुत खर्चीला है और केवल संपन्न देश ही उन्हें लगा सकते हैं. इन प्लांट्स की तकनीक सक्षम और सस्ती नहीं है.

इससे पहले कि धरती पर पानी को लेकर त्राहि-त्राहि होने लगे, हमें ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी कि धरती में पानी की प्राकृतिक आपूर्ति में कमी न आने पाए. पानी के खारेपन को दूर करनेवाली तकनीकों पर बहुत अधिक काम किया जा रहा है. आप किसी भी क्षेत्र से संबंधित हों लेकिन इस दिशा में काम कर रहे लोगों की सहायता करके आप पर्यावरण संरक्षण में अपना मूल्यवान योगदान दे सकते हैं.

4. महासागरों और सौर ऊर्जा का उपयोग

महासागरीय ताप ऊर्जा रूपांतरण (बमंद जेमतउंस म्दमतहल ब्दअमतेपवद) एक नई ऊर्जा तकनीक है जिसमें समुद्र के पानी में व्याप्त ऊष्मा को बिजली में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है. ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि समुद्र में अनेक स्थानों पर पानी के तापमान में अंतर होता है. समुद्र की ऊपरी सतह गर्म और भीतरी सतहें ठंडी होती हैं.

तापमान के इस अंतर से टरबाइनें चलाई जा सकती हैं जो जनरेटर्स की मदद से बिजली बनाती हैं. यह तकनीक अभी शैशवकाल में है और इसे अधिक सक्षम बनाने के प्रयास जारी हैं. ऊपर बताई गई कई तकनीकें भविष्य को निखारने की दिशा में पहले कदमों की भांति हैं.

दृ यदि हमारे पास पर्याप्त संख्या में कुशल वैज्ञानिक और इंजीनियर्स हों तो हम म्दअपतवदउमदज

बवदेमतअंजपवद से संबंधित विकराल समस्याओं के समाधान खोज सकते हैं। जिस गति से आजकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बदलाव आ रहा है, सम्भवतः वह दिन दूर नहीं जब पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी इन समस्याओं का समाधान हमारे सामने होगा। आपको इन जैसी अन्य तकनीकों के बारे में विश्वविद्यालयों और इंटरनेट पर भरपूर सामग्री मिल सकती है।

प्रदूषण के कारण व निवारण

पर्यावरण और मानव जीवन का बड़ा ही गहरा सम्बंध रहा है। वास्तव में दैनिक रहन-सहन एवं श्वास-प्रश्वास की प्रक्रिया के फलस्वरूप दोनों एक दूसरे से हर पल, हर क्षण जुड़े रहते हैं। मानव जब असभ्य था तब वह प्रकृति के अनुसार जैविक क्रियाएं करता था और प्राकृतिक सन्तुलन बना रहता था। किन्तु सभ्यता के विकास ने मानव को विलासी बना दिया है। विकास के नाम पर मानव की दानव प्रकृति ने प्राकृतिक सम्पदा को रौंद डाला है।

इस गम्भीर समस्या पर दुनिया का ध्यान पहली बार तब केन्द्रित हुआ जब स्वीडन की राजधानी स्टाक होम में 5-10 जून 1972 को प्रथम संयुक्त राष्ट्र सार्वभौम पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन हुआ और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की विधिवत स्थापना हुई तथा 5 जून को प्रति वर्ष 'पर्यावरण दिवस' के रूप में मनाए जाने का निर्णय हुआ। उसके बाद अनेक अध्ययनों और अनुभवों के फलस्वरूप पर्यावरण सम्बन्धी प्रश्न दुनियाँ के विकसित व विकासशील देशों के अति चिन्तनीय विषयों की मुख्य धारा से जुड़ गया। इस दिशा में भारत की गम्भीरता व जागरूकता का पता, 'धरती संरक्षण कोष' के उस व्यापक प्रस्ताव से चलता है जो उसने बेलग्रेड गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन और क्वालालम्पुर राष्ट्र मण्डल सम्मेलन में रखा, जहाँ इसे व्यापक समर्थन मिला।

विश्व का ध्यान अधिक से अधिक ओजोन परत के घटते जाने, तेजाबी वर्षा, जल, वायु, भूमि सम्बन्धी परिवर्तन जैसे विषयों की ओर उत्तरोत्तर केन्द्रित हो रहा है। इन क्षेत्रों में नीति और कार्यवाही के बारे में अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इससे अनेक विक. विकासशील देशों की बंजर भूमि मरुस्थलों के बढ़ने और वनों के विनाश जैसी विशेष चिन्ताजनक पर्यावरणीय समस्याओं से ध्यान नहीं हटाया जाना चाहिए अनियोजित शहरीकरण मानव जाति के लिये एक और बड़ी समस्या है जो विकासशील देशों में गम्भीर रूप लेती जा रही है और उसके भविष्य में और गम्भीर होने की आशंका है।

प्रकृति ने करोड़ोंकृअरबों वर्षों से एक ऐसी प्रणाली विकसित की है जो नाजुक और समुचित संतुलन रखते हुए विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बनाए रखती हैं। वनस्पति और जीव-जन्तुओं की यह प्रजातियाँ सम्पदा के विभिन्न स्रोत हैं।

किसी भी राष्ट्र की संपत्ति वहाँ की भूमि, जल और वन पर ही आधारित होती हैं। इस दृष्टि से भारत में हिमालय का विशेष महत्व है। यहाँ के घने जंगलों में अनेक प्रजातियों के जीव-जन्तु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। गंगा और यमुना जैसी देश की प्रमुख नदियों का उद्गम और जल

ग्रहण क्षेत्र हिमालय ही है। हिमालय भारत के गौरव, संस्कृति, सभ्यता और सृष्टि की प्राचीनता का प्रतीक बन कर सदियों से हमारे देश में प्रतिष्ठित ही नहीं रहा है, बल्कि भौतिक रूप से देश की जलवायु को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। जनसंख्या वृद्धि के साथ कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करना, भवन निर्माण, फर्नीचर, ईंधन, पशु पालन, चारा, पुल व नावों के निर्माण के लिये वनों की कटाई का कार्य तीव्र गति से हो रहा है। प्रारम्भ में जहाँ पृथ्वी की 70 प्रतिशत भू-भाग पर वन थे वहीं आज के 16 प्रतिशत भू-भाग में वन रह गये हैं। इस तरह विगत कुछ दशकों में अनवरत वन विनाश के कारण न केवल वर्षा की मात्रा, भूमिगत जल स्तर एवं स्रोतों में कमी आई है, अपितु इसके चलते बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकम्प तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि भी हुई है।

निःसंदेह जल संसाधन परियोजनाओं की आवश्यकता केवल सिंचाई के लिये ही नहीं होती बल्कि इनसे जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, ग्रामीण-शहरी और औद्योगिक क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिये जल आपूर्ति, नौवहन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये सुनिश्चित जलापूर्ति जैसे बहुत से महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। प्रायः इस बात का दावा किया जाता है कि विशाल जलाशय में भरे हुए जल से भूकम्प की संभावना बढ़ जाती है और भूकम्प का अधिकेन्द्र जलाशय के किनारे या उसके आस-पास होता है। किन्तु इसके सही होने के कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। इस सम्बन्ध में कोई निश्चित निष्कर्ष निकालने से पहले यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक आंकड़ों को एकत्रित कर उनका गहन विश्लेषण किया जाए।

सन्दर्भ:-

<http://@@hindi-indiawaterportal-org@node@46917>

बासक, अनिदिता – पर्यावरणीय अध्ययन, गूगल पुस्तक, (अभिगमन तिथि 04-08-2014

सुरेश लाल श्रीवास्तव प्रतियोगिता दर्पण, मार्च, २००६

सुरेश लाल श्रीवास्तव प्रतियोगिता दर्पण, मार्च, २००६

मधु अस्थानापर्यावरण एक संक्षिप्त अध्ययन

अंग्रेजी विक्षनरी

Online etymology dictionary

सविन्द्र सिंह, जैव भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन द पॉलिटीक्स ऑफ़ टॉइलेट्स, बोलोजी

मुंबई स्लमरू धारावी, नैशनल ज्योग्राफिक, मई 2007

कंट्री प्रोफाइलरू भारत . कांग्रेस कंट्री स्टडीज के पुस्तकालय. दिसंबर 2004. 18 मई 2008 को अभिगम

भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 और सफल राष्ट्रप्रमुख का चयन- एक विश्लेषण

डॉ.आर.जी.पटेल

राजनीति शास्त्र

शासकिय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय

पिपरिया म.प्र.

भारतीय चुनाव

चुनाव लोकतंत्र का आधार स्तम्भ हैं। आजादी के बाद से भारत में चुनावों ने एक लंबा रास्ता तय किया है।

1951-52 को हुए आम चुनावों में मतदाताओं की संख्या 17,32,12,343 थी, जो 2014 में बढ़कर 81,45,91,184 हो गई है। 2004 में, भारतीय चुनावों में 670 मिलियन मतदाताओं ने भाग लिया (यह संख्या दूसरे सबसे बड़े यूरोपीय संसदीय चुनावों के दोगुने से अधिक थी) और इसका घोषित खर्च 1989 के मुकाबले तीन गुना बढ़कर +300 मिलियन हो गया। इन चुनावों में दस लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया गया। 2009 के चुनावों में 714 मिलियन मतदाताओं ने भाग लिया, (अमेरिका और यूरोपीय संघ की संयुक्त संख्या से भी अधिक)।

मतदाताओं की विशाल संख्या को देखते हुए चुनावों को कई चरणों में आयोजित किया जाना आवश्यक हो गया है (2004 के आम चुनावों में चार चरण थे और 2009 के चुनावों में पांच चरण थे)। चुनावों की इस प्रक्रिया में चरणबद्ध तरीके से काम किया जाता है, इसमें भारतीय चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की तिथि की घोषणा, जिससे राजनैतिक दलों के बीच आदर्श आचार संहिता लागू होती है, से लेकर परिणामों की घोषणा और सफल उम्मीदवारों की सूची राज्य या केंद्र के कार्यकारी प्रमुख को सौंपना शामिल होता है। परिणामों की घोषणा के साथ चुनाव प्रक्रिया का समापन होता है और नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त होता है।

राष्ट्रीय चुनावों की सूची

राज्य सभा चुनाव

राज्य सभा के सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और ये लगभग पूरी तरह से अलग-अलग राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जबकि 12 सदस्यों का नामांकन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, इसमें आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री की सलाह और सहमति शामिल होती है। राज्य सभा के बारे में अधिक जानकारी <http://rajyasabha-nic-पद/तेदमू/इवनज-parliament@rajya&sabha&introduction-asp> पर पायी जा सकती है।

राष्ट्रपति चुनाव

भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसके लिए निर्वाचन मंडल का प्रयोग किया जाता है जहां लोक सभा व राज्य सभा के सदस्य और भारत के सभी प्रदेशों तथा क्षेत्रों की विधान सभाओं के सदस्य अपना वोट डालते हैं।

भारतीय चुनाव प्रणाली

भारतीय संसद में राष्ट्रप्रमुख- भारत के राष्ट्रपति – और दो सदन शामिल हैं जो विधानमंडल होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव पांच वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संघ और राज्य के विधानमंडलों के सदस्य शामिल होते हैं।

भारत की संसद के दो सदन हैं। लोक सभा में 545 सदस्य होते हैं, 543 सदस्यों का चयन पांच वर्षों की अवधि के लिए एकल सीट निर्वाचन क्षेत्रों से होता है और दो सदस्यों को एंग्लो-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है (भारतीय संविधान में उल्लेख के अनुसार, अब तक लोक सभा में 545 सदस्य होते हैं, 543 सदस्यों का चयन पांच वर्षों की अवधि के लिए होता है और दो सदस्यों को एंग्लो-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है)। 550 सदस्यों का चयन बहुमत निर्वाचन प्रणाली के तहत होता है।

राज्यों की परिषद (राज्य सभा) में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें 233 सदस्यों का चयन छह वर्ष की अवधि के लिए होता है, जिसमें हर दो साल में एक तिहाई अवकाश ग्रहण करते हैं। इन सदस्यों का चयन राज्य और केंद्र (संघ) शासित प्रदेशों के विधायकों द्वारा किया जाता है। निर्वाचित सदस्यों का चयन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल अंतरणीय मत के माध्यम से किया जाता है। बारह नामित सदस्यों को आमतौर पर प्रख्यात कलाकारों (अभिनेताओं सहित), वैज्ञानिकों, न्यायविदों, खिलाड़ियों, व्यापारियों और पत्रकारों और आम लोगों में से चुना जाता है।

1952 में हुआ था पहला चुनाव, इस तरह लोगों ने डाले थे वोट

जालंधर: स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा चुनाव संविधान के अंगीकृत किए जाने के बाद अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 में पांच महीनों की अवधि में संपन्न हुआ था। उस समय लोकसभा में 489 सीटें थीं। 15 अगस्त 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री

जवाहरलाल नेहरू ने 15 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया था । इस मंत्रिमंडल में सभी वर्गों और समुदायों को उचित स्थान तो दिया ही गया था। साथ ही ऐसे महानुभाओं को भी जगह मिली थी जो विचारधारा के स्तर पर जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध थे। हालांकि कि उस समय कांग्रेस सबसे लोकप्रिय और प्रभावी दल था फिर भी देश के सभी वर्गों और विचारधारा के लोगों को उचित स्थान देकर नेहरू ने भारत की अनेकता में एकता का ही सम्मान किया। प्रथम आम चुनाव के बाद श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री बने थे। वे राजनीति में दक्षिण पंथी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे। इसी प्रकार संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष डॉ भीम राव आंबेडकर जिन्होंने ने अनुसूचित जाति फेडरेशन बनाया था , और बाद में रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया था ने कानून मंत्री का पद भार सम्भाला था।

प्रथम लोकसभा में कांग्रेस के अतिरिक्त जिन दलों ने चुनाव में भाग लिया था, वे थे

- 'आचार्य जे बी कृपलानी की किसान मजदूर प्रजा पार्टी
- 'डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भारतीय जान संघ
- 'डॉ आंबेडकर की रिपब्लिकन पार्टी
- 'डॉ राम मनोहर लोहिआ की
- 'जय प्रकाश नारायण की सोशलिस्ट पार्टी

उसी समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (अविभाजित) ने जो तेलंगाना में सशस्त्र संघर्ष चलाया था ने भी लोकतांत्रिक रास्ता पकड़ते हुए प्रथम आम चुनाव में भाग लिया और उन्होंने 49 सीटों के लिए चुनाव लड़ा। 1952 में भारत की साक्षरता दर मात्र 16 प्रतिशत थी इसलिए चुनाव आयोग ने सभी के लिए अलग-अलग बैलेट बॉक्स की व्यवस्था की गई। सभी बक्सों का रंग अलग- अलग था। मतदाता अपने बैलेट बॉक्स के ऊपर चुनाव चिन्ह देखकर उसमें अपना वोट डाल देते थे।

कैसे हुआ था 1952 का चुनाव

- 1.5 माह का समय लगा था (अक्तूबर 1951-फरवरी 1952)
2. 4500 सीटों के लिए हुए थे चुनाव (लोकसभा एवं विधान सभाओं का एक साथ)
- 3.18000 प्रत्याशियों ने आजमाई थी अपनी किस्मत
4. 17.6 करोड़ मतदाताओं का हुआ था पंजीकरण
5. 3.8 लाख पेपर रिम्स का उपयोग बैलेट पेपर बनाने के लिए किया गया
6. 3.90 लाख स्याही के पैक का उपयोग मतदाताओं की उंगलियों पर निशान लगाने को किया गया
- 7.20 लाख बैलेट बाक्स का निर्माण किया गया मतदान के लिए
8. 8200 टन स्टील लगा बैलेट बॉक्स बनाने में

9. 2.24 लाख मतदान केंद्र बनाए गए, 16500 लोगों को 6 महीने के अनुबंध पर मतदान कराने के लिए किया गया नियुक्त
10. 56000 अधिकारियों को निगरानी के लिए चुना गया
11. 2.8 लाख वालंटियर भी मतदान कराने के कार्य में दे रहे थे सहयोग
12. 24 लाख पुलिसकर्मियों को लगाया गया था चुनाव कार्यों में
13. 3000 फिल्म पूरे भारत में दिखाए गए, चुनाव संबंधी जानकारी देने के लिए

प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन

भारतीय नागरिक सेवा (आई.सी.एस.) अधिकारी सुकुमार सेन मुख्य चुनाव आयुक्त बनने से पहले पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव थे। उन्होंने 1952 और 1957 के चुनाव कराए। दूसरे चुनाव में सुकुमार सेन ने सरकार का 4.5 करोड़ रुपया बचाया क्योंकि उन्होंने पहले चुनाव के 35 लाख बैलेट बॉक्स बचाकर रख लिए थे। भारत में सफल चुनाव कराने वाले सेन को सूडान सरकार ने अपने यहां होने वाले प्रथम चुनाव की निगरानी का जिम्मा सौंपा था।

महिलाओं को वोटर बनाने में समस्या

प्रथम चुनाव आयुक्त के सामने महिलाओं को मतदाता के तौर पर पंजीकृत करना एक बड़ी चुनौती थी। विशेषकर उत्तर भारत में महिलाओं को अपना नाम बताने में हिचक होती थी क्योंकि उनकी पहचान किसी की पत्नी या मां आदि के तौर पर की जाती थी। पहली बार में इन महिलाओं ने अपना नाम इसी तरह दिया यानी किसी की मां या पत्नी के तौर पर लेकिन सुकुमार सेन ने इसे अस्वीकार कर दिया और सही नाम लिखवाने का आदेश दिया। इसका मतलब था कि करीब 28 लाख महिलाओं को बाहर किया जाना। हालांकि, बाद के चुनावों में अधिकांश महिलाओं ने अपना सही नाम पंजीकृत कराया।

मतदान स्थल पर मतदान

मेरा मतदान स्थल कहां है?

अपने मतदान स्थल का पता आपके काउंटी चुनाव अधिकारियों द्वारा आपको भेजी गई नमूना मतपत्र पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर है। यदि आपके पास पुस्तिका नहीं है, तो अपने काउंटी चुनाव कार्यालय से संपर्क करें, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की टोल फ्री मतदाता हॉटलाइन (888) 345-2692 पर कॉल करें।

क्या मुझे पहचान का प्रमाण लाने की ज़रूरत होगी?

अधिकांश मामलों में, कैलिफोर्निया के मतदाताओं के लिए अपने मतदान स्थल पर पहचान का प्रमाण

दिखाना आवश्यक नहीं होता है। लेकिन, जब आप पहली बार मतदान करते हैं तो अपने साथ पहचान का प्रमाण लेकर आना अच्छा विचार है। यदि आपने अपना मतदाता पंजीकरण आवेदन डाक द्वारा भेजा था और अपना ड्राइवर लाइसेंस नंबर, कैलिफोर्निया का पहचान नंबर या अपने सोशल सिक्योरिटी नंबर के अंतिम चार अंक शामिल नहीं किए थे तो मतदान कर्मचारी आपकी पहचान का प्रमाण देखने के लिए कह सकता है।

हाल ही के उपयोगिता बिल, आपके काउंटी चुनाव कार्यालय से आपको मिली नमूना मतपत्र पुस्तिका या किसी सरकारी एजेंसी द्वारा आपको भेजे गए किसी अन्य दस्तावेज़ की एक प्रतिलिपि पहचान के स्वीकार्य रूपों के उदाहरण हैं। अन्य उदाहरणों में आपका पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस, सरकारी कैलिफोर्निया पहचान कार्ड या छात्र पहचान कार्ड शामिल हैं।

पहली बार मतदान करते समय इस्तेमाल करने के लिए अपनी पहचान के प्रमाण के बारे में अधिक जानकारी के लिए पूरी सूची देखें या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की टोल फ्री मतदाता हॉटलाइन (888) 345-2692 पर कॉल करें।

यदि मतदान स्थल पर मतदाता सूची में मेरा नाम न हो तो?

भले ही आपका नाम मतदान स्थल पर मतदाता सूची में न हो, फिर भी आपके पास अनंतिम मत-पत्र के साथ मतदान करने का अधिकार है। आपके अनंतिम मत-पत्र को चुनाव अधिकारी द्वारा यह पुष्टि करने के बाद ही गिना जाएगा कि आप पंजीकृत मतदाता हैं और आपने उस चुनाव में कहीं अन्य मतदान नहीं किया है। चुनाव कर्मचारी आपको जानकारी दे सकता है कि यह कैसे पता करना है कि क्या आपके अनंतिम मतदान को गिना गया था, और यदि इसे नहीं गिना गया था तो उसका क्या कारण था।

मैं कौन सी मतदान प्रणाली का उपयोग करूँगा/गी?

प्रत्येक काउंटी का चुनाव कार्यालय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा अनुमोदित सूची में से एक मतदान प्रणाली का चयन करता है। यह पता करने के लिए आपकी काउंटी किस प्रणाली का उपयोग करती है अपनी काउंटी की मतदान प्रणाली का उपयोग करते हुए मतदान कैसे करना है देखें।

डाक द्वारा मतदान

मुझे मतपत्र कैसे प्राप्त होगा?

डाक-द्वारा-मत देने के लिए मतपत्र मंगवाने के लिए, आपके काउंटी चुनाव कार्यालय से आपको प्राप्त हुई नमूना मतपत्र पुस्तिका में दिया गया आवेदन फॉर्म भरें। या एक डाक द्वारा मत देने के लिए मतपत्र का आवेदन भरें (चक्थ) जिसे आप प्रिंट करके और हस्ताक्षर करके अपने काउंटी चुनाव कार्यालय को भेज सकते हैं।

आप जिस भी ढंग से आवेदन करें, आपको अपना डाक द्वारा मत देने के लिए मतपत्र का आवेदन-पत्र इस तरह से डाक द्वारा भेजना होगा या खुद देना होगा कि यह चुनाव के दिन से कम से कम 7 दिन पहले आपके काउंटी चुनाव कार्यालय में पहुँच जाए।

इस और चुनाव की अन्य महत्वपूर्ण अंतिम तारीखों के लिए चुनाव की तारीखें और संसाधन देखें। मेरे डाक-द्वारा-मत देने के लिए मतपत्र को वापिस करने का अंतिम दिन कौन सा है?

आपको अपना मतपत्र भर कर डाक द्वारा इस तरह वापिस भेजना होगा कि यह चुनाव के दिन शाम 8:00 बजे चुनाव समाप्त होने से पहले आपके काउंटी चुनाव कार्यालय में पहुँच जाए। डाक की मोहर को नहीं देखा जाता है। यदि आप निश्चित नहीं है कि आपका डाक-द्वारा-मत देने के लिए मतपत्र डाक द्वारा भेजने से समय पर पहुँच जाएगा, तो इसे चुनाव के दिन सुबह 7:00 और रात 8:00 बजे के बीच अपनी काउंटी में किसी भी मतदान स्थल पर लाएं।

इस और चुनाव की अन्य महत्वपूर्ण अंतिम तारीखों के लिए चुनाव की तारीखें और संसाधन देखें।

यदि मैं पहली बार मतदान कर रहा/रही हूँ तो?

जब आप मतदान करने के लिए पंजीकृत करते हैं, तो आपको अपना ड्राइवर लाइसेंस नंबर, कैलिफोर्निया का पहचान नंबर या अपने सोशल सिक्योरिटी नंबर के अंतिम चार अंक भरने के लिए कहा गया था। यदि आपने यह जानकारी शामिल नहीं की थी, तो निश्चित करें कि आप अपने मतपत्र वाले लिफाफे में किसी निजी पहचान के प्रमाण की फोटोकॉपी भेजते हैं।

आपको पहचान के स्वीकार्य प्रकारों की उदाहरणें ऊपर मतदान स्थल पर मतदान में मिलेंगी।

सन्दर्भ:-

1. चरणों में होंगे चुनाव, 16 मई को वोटों की गिनती. नवभारत टाइम्स. 5 मार्च २०१४.
2. "Terms of Houses] Election Commission of India"- अभिगमन तिथि 10 जून 2013.
3. "Number of Registered Voters in India reaches 814-5 Mn in IANS- news-biharprabha-com
4. भारतीय आम चुनाव, २०१४.
5. कुमार, बिमल (१३ मई २०१४). प्लोकसभा चुनाव 2014 में रिकॉर्ड 66.38: मतदान. जी न्यूज़. अभिगमन तिथिरू १५ मई २०१४.
6. इस तक ऊपर जायें GENERAL ELECTION TO LOK SABHA TRENDS & RESULT 2014] Election Commission of India

विवेकानन्द का योगदान तथा महत्व – एक परिचय

श्री हरीराम

स.प्राध्यापक राजनीति विज्ञान

आचार्य नरेन्द्र देव पी.जी. कालेज

गोण्डा उ.प्र.

पूरा नाम – नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त

जन्म 12 जनवरी 1863

जन्मस्थान कलकत्ता (पं. बंगाल)

पिता विश्वनाथ दत्त

माता भुवनेश्वरी देवी

शिक्षा 1884 में बी. ए. परीक्षा उत्तीर्ण

विवाह विवाह नहीं किया.

स्वामी विवेकानंद का महान व्यक्तित्व

स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन् 1863 को हुआ। उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वे अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंगरेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढंग पर ही चलाना चाहते थे। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इस हेतु वे पहले ब्रह्म समाज में गए किंतु वहाँ उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ।

सन् 1884 में श्री विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। घर का भार नरेंद्र पर पड़ा। घर की दशा बहुत खराब थी। कुशल यही थी कि नरेंद्र का विवाह नहीं हुआ था। अत्यंत गरीबी में भी नरेंद्र बड़े अतिथि-सेवी थे। स्वयं भूखे रहकर अतिथि को भोजन कराते, स्वयं बाहर वर्षा में रातभर भीगते-ठिठुरते पड़े रहते और अतिथि को अपने बिस्तर पर सुला देते।

रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र उनके पास पहले तो तर्क करने के विचार से ही गए थे किंतु परमहंसजी ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही शिष्य है जिसका उन्हें कई दिनों से इंतजार है। परमहंसजी की कृपा से इनको आत्म-साक्षात्कार हुआ फलस्वरूप नरेंद्र परमहंसजी के शिष्यों में प्रमुख हो गए। संन्यास लेने के बाद इनका नाम विवेकानंद हुआ।

स्वामी विवेकानन्द अपना जीवन अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव के शरीर-त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुम्ब की नाजुक हालत की परवाह किए बिना, स्वयं के भोजन की परवाह किए बिना गुरु सेवा में सतत हाजिर रहे। गुरुदेव का शरीर अत्यंत रुग्ण हो गया था। कैंसर के कारण गले में से थूक, रक्त, कफ आदि निकलता था। इन सबकी सफाई वे खूब ध्यान से करते थे।

एक बार किसी ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और लापरवाही दिखाई तथा घृणा से नाक भौंहे सिकोड़ीं। यह देखकर विवेकानन्द को गुस्सा आ गया। उस गुरुभाई को पाठ पढ़ाते हुए और गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त, कफ आदि से भरी थूकदानी उठाकर पूरी पी गए।

गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही वे अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके। गुरुदेव को वे समझ सके, स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके। समग्र विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक खजाने की महक फैला सके। उनके इस महान व्यक्तित्व की नींव में थी ऐसी गुरुभक्ति, गुरुसेवा और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा।

स्वामी विवेकानंद शिक्षा

1871 में, 8 साल की आयु Swami Vivekananda को ईश्वर चन्द्र विद्यासागर मेट्रोपोलिटन इंस्टिट्यूट में डाला गया, 1877 में जब उनका परिवार रायपुर स्थापित हुआ तब तक नरेंद्र ने उस स्कूल से शिक्षा ग्रहण की। 1879 में, उनके परिवार के कलकत्ता वापिस आ जाने के बाद प्रेसीडेंसी कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न लाने वाले वे पहले विद्यार्थी बने। वे विभिन्न विषयों जैसे दर्शन शास्त्र, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य के उत्सुक पाठक थे। हिंदु धर्मग्रंथों में भी उनकी बहोत रूचि थी जैसे वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराण। नरेंद्र भारतीय पारंपरिक संगीत में निपुण थे, और हमेशा शारीरिक योग, खेल और सभी गतिविधियों में सहभागी होते थे।

नरेंद्र ने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी जीवन और यूरोपियन इतिहास की भी पढाई जनरल असेंबली इंस्टिट्यूट से कर रखी थी। 1881 में, उन्होंने ललित कला की परीक्षा पास की, और 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी की।

विवेकानंद ने शिकागो के भाषण में क्या कहा था?

12 जनवरी, 1893 को कोलकाता में जन्में नरेंद्र नाथ आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से मशहूर हुए। विवेकानंद की जब भी बात होती है तो अमरीका के शिकागो की धर्म संसद में साल 1893 में दिए गए भाषण की चर्चा जरूर होती है।

ये वो भाषण है जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत छवि के साथ पेश किया। लेकिन भाषण में उन्होंने कहा क्या यह कम ही लोग बता पाते हैं। ये हैं स्वामी विवेकानंद के उस भाषण की खास बातें

1. अमरीकी भाइयों और बहनों, आपने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया है उससे मेरा दिल भर आया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ, सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों-करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

2. मैं इस मंच पर बोलने वाले कुछ वक्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने यह ज़ाहिर किया कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूरब के देशों से फैला है।

विवेकानंद और दाऊद का आईक्यू समानरूप गडकरी

मैं, मेरी दादी और स्वामी विवेकानंद

3. मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते बल्कि, हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं।

4. मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहां शरण दी। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में इसराइल की वो पवित्र यादें संजो रखी हैं जिनमें उनके धर्मस्थलों को रोमन हमलावरों ने तहस-नहस कर दिया था और फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली।

5. मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है।

6. मैं इस मौके पर वह श्लोक सुनाना चाहता हूँ जो मैंने बचपन से याद किया और जिसे रोज़ करोड़ों लोग दोहराते हैं। शजिस तरह अलग-अलग जगहों से निकली नदियां, अलग-अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग-अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग-अलग लगते हैं, लेकिन ये सब ईश्वर

तक ही जाते हैं।

7. मौजूदा सम्मेलन जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, वह अपने आप में गीता में कहे गए इस उपदेश इसका प्रमाण है। श्रद्धा भी मुझ तक आता है, चाहे कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूँ, लोग अलग-अलग रास्ते चुनते हैं, परेशानियां झेलते हैं, लेकिन आखिर में मुझ तक पहुंचते हैं।

8. सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हठ ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हो चुकी है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुईं और कितने देश मिटा दिए गए।

9. यदि ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज्यादा बेहतर होता, जितना कि अभी है। लेकिन उनका वक्त अब पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, हठधर्मिता और दुखों का विनाश करने वाला होगा। चाहे वह तलवार से हो या फिर कलम से।

विवेकानन्द का योगदान तथा महत्व

मुम्बई में गेटवे ऑफ़ इन्डिया के निकट स्थित स्वामी विवेकानन्द की प्रतिमूर्ति

उन्तालीस वर्ष के संक्षिप्त जीवनकाल में स्वामी विवेकानन्द जो काम कर गये वे आने वाली अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे।

तीस वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानन्द ने शिकागो, अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और उसे सार्वभौमिक पहचान दिलवायी। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था—यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानन्द को पढ़िये। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पायेंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं।

रोमां रोलां ने उनके बारे में कहा था—उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असम्भव है, वे जहाँ भी गये, सर्वप्रथम ही रहे। हर कोई उनमें अपने नेता का दिग्दर्शन करता था। वे ईश्वर के प्रतिनिधि थे और सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना ही उनकी विशिष्टता थी। हिमालय प्रदेश में एक बार एक अनजान यात्री उन्हें देख ठिठक कर रुक गया और आश्चर्यपूर्वक चिल्ला उठा—‘शिव!’ यह ऐसा हुआ मानो उस व्यक्ति के आराध्य देव ने अपना नाम उनके माथे पर लिख दिया हो।

वे केवल सन्त ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव-प्रेमी भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा था—नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, भड़भूँजे के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से; निकल पड़े झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से और जनता ने स्वामीजी की पुकार का उत्तर दिया। वह गर्व के साथ निकल पड़ी। गान्धीजी को आजादी की लड़ाई में जो जन-समर्थन मिला, वह विवेकानन्द के आह्वान का

ही फल था। इस प्रकार वे भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा के स्रोत बने। उनका विश्वास था कि पवित्र भारतवर्ष धर्म एवं दर्शन की पुण्यभूमि है। यहीं बड़े-बड़े महात्माओं व ऋषियों का जन्म हुआ, यही संन्यास एवं त्याग की भूमि है तथा यहीं-केवल यहीं-आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्य के लिये जीवन के सर्वोच्च आदर्श एवं मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। उनके कथन-‘उठो, जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ। अपने नर-जन्म को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाये।

उन्नीसवीं सदी के अन्तिम वर्षों में लिया गया क्रान्तिकारी वेशधारी विवेकानन्द का एक दुर्लभ चित्र। यह चित्र देखकर उन्होंने कहा था-यह चित्र तो डाकुओं के किसी सरदार जैसा लगता है।

उन्नीसवीं सदी के आखिरी वर्षों में विवेकानन्द लगभग सशस्त्र या हिंसक क्रान्ति के जरिये भी देश को आजाद करना चाहते थे। परन्तु उन्हें जल्द ही यह विश्वास हो गया था कि परिस्थितियाँ उन इरादों के लिये अभी परिपक्व नहीं हैं। इसके बाद ही विवेकानन्द ने ‘एकला चलो’ की नीति का पालन करते हुए एक परिव्राजक के रूप में भारत और दुनिया को खंगाल डाला।

यात्राएँ

स्वामी विवेकानन्द शिकागो के विश्व धर्म परिषद् में बैठे हुए

२५ वर्ष की अवस्था में नरेन्द्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए थे। तत्पश्चात् उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। सन् १८६३ में शिकागो (अमरीका) में विश्व धर्म परिषद् हो रही थी। स्वामी विवेकानन्द उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुँचे। योरोप-अमरीका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानन्द को सर्वधर्म परिषद् में बोलने का समय ही न मिले। परन्तु एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला। उस परिषद् में उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गये। फिर तो अमरीका में उनका अत्यधिक स्वागत हुआ। वहाँ उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय बन गया। तीन वर्ष वे अमरीका में रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान की। उनकी वक्तृत्व-शैली तथा ज्ञान को देखते हुए वहाँ के मीडिया ने उन्हें साइक्लॉनिक हिन्दू का नाम दिया। अध्यात्म-विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जायेगा यह स्वामी विवेकानन्द का दृढ़ विश्वास था। अमरीका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएँ स्थापित कीं। अनेक अमरीकी विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया।

मृत्यु

4 जुलाई 1902 (उनकी मृत्यु का दिन) को विवेकानन्द सुबह जल्दी उठे, और बेलूर मठ के पूजा घर में पूजा करने गये और बाद में 3 घंटों तक योग भी किया। उन्होंने छात्रों को शुक्ल-यजुर-वेद, संस्कृत और योग साधना के विषय में पढाया, बाद में अपने सहशिष्यों के साथ चर्चा की और रामकृ

ण मठ में वैदिक महाविद्यालय बनाने पर विचार विमर्श किये।
 7 च.ड. को विवेकानंद अपने रूम में गये, और अपने शिष्य को शांति भंग करने के लिए मना किया, और 9 च.ड को योगा करते समय उनकी मृत्यु हो गयी। उनके शिष्यों के अनुसार, उनकी मृत्यु का कारण उनके दिमाग में रक्तवाहिनी में दरार आने के कारन उन्हें महासमाधि प्राप्त होना है।
 उनके शिष्यों के अनुसार उनकी महासमाधि का कारण ब्रह्मरंधरा (योगा का एक प्रकार) था। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी को सही साबित किया की वे 40 साल से ज्यादा नहीं जियेंगे। बेलूर की गंगा नदी में उनके शव को चन्दन की लकड़ियों से अग्नि दी गयी।

सन्दर्भ:—

- 1- ? "World fair 1893 circulated photo"- vivekananda-net- vfHkxeu frfFk: 11 April 2012-
- 2- ? Bhajananda ¼2010½] Four Basic Principles of Advaita Vedanta] p-3
- 3- ? v vk Michelis 2005-
- 4- ? Aspects of the Vedanta] p-150

विकिमीडिया कॉमन्स पर स्वामी विवेकानन्द से सम्बन्धित मीडिया है।

स्वामी विवेकानन्द के सुविचार

स्वामी विवेकानन्द के व्याख्यान

स्वामी विवेकानंद का शिकागो में धर्म सम्मलेन भाषण दृ ११ सितम्बर १८९३

सूचना व संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शिक्षा का विकास

राममणि द्विवेदी (शिक्षा संकाय)
प्राचार्य काल्याणिक केन्द्रीय शिक्षा निकेतन
महाविद्यालय अमरकंटक,
जिला अनूपपुर

शिक्षा का इतिहास

प्राथमिक शिक्षा ऐसा आधार है जिसपर देश तथा इसके प्रत्येक नागरिक का विकास निर्भर करता है। हाल के वर्षों में भारत ने प्राथमिक शिक्षा में नामांकन, छात्रों की संख्या बरकरार रखने, उनकी नियमित उपस्थिति दर और साक्षरता के प्रसार के संदर्भ में काफी प्रगति की है। जहाँ भारत की उन्नत शिक्षा पद्धति को भारत देश के आर्थिक विकास का मुख्य योगदानकर्ता तत्व माना जाता है, वहीं भारत में आधारभूत शिक्षा की गुणवत्ता फिलहाल एक चिंता का विषय है। भारत में 14 साल की उम्र तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना संवैधानिक प्रतिबद्धता है। देश के संसद ने वर्ष 2009 में 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' पारित किया था जिसके द्वारा 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार हो गई थी। हालांकि देश में अभी भी आधारभूत शिक्षा को सार्वभौम नहीं बनाया जा सका है।

इसका अर्थ है बच्चों का स्कूलों में सौ फीसदी नामांकन और स्कूलिंग सुविधाओं से लैस हर घर में उनकी संख्या को बरकरार रखना। इसी कमी को पूरा करने हेतु सरकार ने वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान योजना की शुरुआत की थी, जो अपनी तरह की दुनिया में सबसे बड़ी योजना थी। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा क्षेत्र में वंचित और संपन्न समुदायों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, के बीच की दूरी पाटने का कार्य कर रहा है।

भारत विकास प्रवेशद्वार ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत में मौलिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु प्रचुर सामग्रियों को उपलब्ध कराकर छात्रों तथा शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने की पहल की है। बाल अधिकार बाल अधिकार आज के समय की सबसे बड़ी और उभरती हुई जरूरत

है, जिसके बारे में लोगों में जानकारी का अभाव है। इस भाग में ऐसे कई बाल अधिकारों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रण का उद्देश्य बच्चों के बाल अधिकारों का हनन होने से रोकना और उनके अधिकार सुरक्षित करना है। नीतियां और योजनाएं 6 से 14 साल की उम्र के बीच के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इस 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया और इसे कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की जानकारी इस भाग में दी गई है। बाल जगत मल्टीमीडिया सामग्री के विभिन्न भाग विज्ञान खंड आदि रचनात्मक सोच और सीखने की प्रक्रिया में बच्चों में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह के अन्य उदाहरणों को इस भाग में प्रस्तुत किया गया है।

शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्ति आदि समाविष्ट हैं। इस प्रकार यह कौशल (पससे), व्यापारों या व्यवसायों एवं मानसिक, नैतिक और सौन्दर्यविषयक के उत्कर्ष पर केंद्रित है।

शिक्षा, समाज की एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास है। इस विचार से शिक्षा एक संस्था के रूप में काम करती है, जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा समाज की संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखती है। बच्चा शिक्षा द्वारा समाज के आधारभूत नियमों, व्यवस्थाओं, समाज के प्रतिमानों एवं मूल्यों को सीखता है। बच्चा समाज से तभी जुड़ पाता है जब वह उस समाज विशेष के इतिहास से अभिमुख होता है।

शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व का विकसित करने वाली प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए समाजीकृत करती है तथा समाज के सदस्य एवं एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध कराती है। शिक्षा शब्द संस्कृतभाषा की 'शिक्ष्' धातु में 'अ' प्रत्यय लगाने से बना है। 'शिक्ष्' का अर्थ है सीखना और सिखाना। 'शिक्षा' शब्द का अर्थ हुआ सीखने-सिखाने की क्रिया।

जब हम शिक्षा शब्द के प्रयोग को देखते हैं तो मोटे तौर पर यह दो रूपों में प्रयोग में लाया जाता है, व्यापक रूप में तथा संकुचित रूप में। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है।

मनुष्य क्षण-प्रतिक्षण नए-नए अनुभव प्राप्त करता है व करवाता है, जिससे उसका दिन-प्रतिदिन का व्यवहार प्रभावित होता है। उसका यह सीखना-सिखाना विभिन्न समूहों, उत्सवों, पत्र-पत्रिकाओं, दूरदर्शन आदि से अनौपचारिक रूप से होता है। यही सीखना-सिखाना शिक्षा के व्यापक तथा विस्तृत रूप में आते हैं। संकुचित अर्थ में शिक्षाकिसी समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थानों (विद्यालय, महाविद्यालय) में सुनियोजित ढंग से चलने वाली एक सोद्देश्य सामाजिक

प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्र निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर अनेक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना सीखता है।

भारत में करोड़ों बच्चे क्यों नहीं जाते स्कूल?

भारत में शिक्षा का अधिकार कानून एक अप्रैल 2010 से लागू किया गया। भारत में इस कानून के छह साल पूरे हो गए हैं। इस कानून के तहत प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने वाली बच्चों की एक पीढ़ी छठी कक्षा में पढ़ाई कर रही हैं। बहुत से बच्चे नौवीं-दसवीं में पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो नौवीं में दोबार फेल होकर फिर से नौवीं की पढ़ाई कर रहे हैं।

भारत में शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद ज़मीनी स्तर पर बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। मसलन स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ा है। हर साल आठवीं पास करने वाले बच्चों की संख्या के आँकड़े तेज़ी से बढ़े हैं। पर इसके साथ ही शिक्षा में गुणवत्ता और स्कूल में बच्चों के ठहराव का सवाल ज्यों का त्यों कायम है। आठ करोड़ से ज्यादा बच्चों के कभी स्कूल नहीं जाने और स्कूल आने के बावजूद काम करने को मजबूर 78 लाख बच्चों की मौजूदगी भारत में प्राथमिक शिक्षा की बदहाली की कहानी दोहराती है।

शिक्षा का अधिकार कानून से क्या बदला

1. सरकारी व निजी स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ा है।
2. शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता आई है।
3. करोड़ों बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला।
4. स्कूल से बाहर बच्चों की कुल संख्या में तकरीबन एक करोड़ की कमी आई है।
5. मगर अभी भी स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या 8.4 करोड़ है जो बहुत ज्यादा है। इसे कम करने के लिए गंभीर कदम उठाने की जरूरत है।
6. आठवीं तक बच्चों को पास करने वाली नीति के कारण साक्षरता के आँकड़े बेहतर हुए हैं।
7. स्कूल में बच्चों का डर कम हुआ है।
8. शिक्षकों का व्यवहार बदला है, वे भयमुक्त माहौल की बात से सहमत हैं।
9. स्कूल में बच्चों को मुफ्त भोजन और किताबें मिल रही हैं। आदिवासी और ग्रामीण अंचल के गरीब बच्चों के लिए यह बहुत बड़ी बात है।
10. सरकारी स्कूल में आँकड़ों का काम काफी बढ़ा है। इसके कारण शिक्षण का कार्य भी प्रभावित हुआ है।

क्या नहीं बदला, जिसे बदलने की जरूरत है

1. सरकारी व निजी स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ा है, मगर ठहराव की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है।

2. सबको समान शिक्षा व गुणवत्ता वाली शिक्षा का सवाल अभी भी कायम हैं।
3. शिक्षा का अधिकार कानून आने के बाद भी भारत में सिंगल टीचर स्कूलों की मौजूदगी बनी हुई है।
4. स्कूलों में विभिन्न विषयों के अध्यापक नहीं हैं, इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। वे आठवीं के बाद आगे पढ़ने लायक क्षमता का विकास नहीं कर पाते।
5. स्कूल आने वाले लाखों बच्चों में गणित और भाषा के बुनियादी कौशलों का विकास नहीं हो पा रहा है। इस कारण से स्कूल छोड़ने वाली स्थितियां निर्मित होती हैं।
6. भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि करोड़ों बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके।
7. बहुत से सरकारी स्कूलों में शौचालय की स्थिति दयनीय है, बच्चे सम्मान के साथ उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस स्थिति में भी बदलाव की जरूरत है।
8. बहुत से स्कूलों में शिक्षक शराब पीकर आते हैं। या फिर स्कूल में हाजिरी लगाकर स्कूल से चले जाते हैं। ऐसी स्थिति का असर भी बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। इस पहलू में भी बदलाव की जरूरत है।
9. शिक्षा का अधिकार कानून शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने की बात करता है, जिसकी अनुशंसा कोठारी आयोग के समय से होती रही है। मगर शिक्षकों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करने वाला माहौल बनाने की दिशा में ठस कदम नहीं उठाए गए हैं।
10. शिक्षकों को बच्चों की प्रगति और पीछे रहने के लिए जिम्मेदार बनाने वाला सिस्टम नहीं बन पाया है, इस दिशा में भी गंभीर पहल की जरूरत है।
बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते?

मेंहदी में मिलाने वाली पत्ती तोड़ते स्कूली बच्चे।

भारत में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या आठ करोड़ से भी ज्यादा है। जो यह बताने के पर्याप्त है कि स्थिति काफी गंभीर है। हम और आप अपनी असल जिंदगी में रोज़ाना ऐसे बच्चों से मिलते होंगे जो स्कूल से बाहर होटलों में काम करते हुए, जानवरों को चराते हुए या फिर परिवार के साथ शहरों में काम करते हुए दिखाई देते हैं।

वहीं बहुत से बच्चे गाँव और गली मोहल्लों में दिनभर घूमते रहते हैं। या फिर परिवार के साथ खेतों पर काम करने जाते हैं। या फिर बाज़ार में सब्जी बेजने या फिर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाते हैं।

1. भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का मजबूत ढांचा न होना एक प्रमुख कारण है। इसके कारण समाज में पढ़ाई की जो संस्कृति और माहौल बनना चाहिए, वह नहीं बन पाता है। ऐसी स्थिति में शिक्षा के बारे में लोगों की सोच में जो बदलाव आना चाहिए, वह नहीं हो पाता। जिसका असर बार-बार अनेक रूपों में सामने आता है।
2. बच्चे परिवार के लोगों के साथ खेतों पर काम करने जाते हैं।
3. जब घर के लोग मजदूरी करने या खेतों पर काम करने के लिए जाते हैं तो वे घर पर छोटे बच्चों की देखरेख करते हैं।
4. बाज़ार में सब्जी बेचने के काम में परिवार के सदस्यों के साथ जाना।
5. होटल और दुकानों पर काम करना।
6. जानवरों को चराने के लिए ले जाना।
7. कपास और अन्य कामों में लगना जहाँ बच्चों से काम करवाया जाता है।
8. जंगल से लकड़ियाँ काटने के लिए जाना।
9. परिवार का बच्चों की पढ़ाई के प्रति जागरूक न होना।
10. परिवार के आपसी झगड़ों की वजह से भी बच्चे का नियमित स्कूल आना प्रभावित होता है।
11. पढ़ना ना सीख पाना और स्कूल में पिटाई भी बच्चों के स्कूल न आने की एक बड़ी वजह है।
12. पैसे को पढ़ाई से ज्यादा तरजीह देने वाली स्थिति भी बच्चों की पढ़ाई छूटने की एक अहम वजह है। इस वजह से बहुत से बच्चे टीसी लेकर काम करने चले जाते हैं या फिर परीक्षाओं के समय आकर परीक्षा दे देते हैं।
13. आठवीं तक पास करने वाली नीति के कारण भी बच्चों का नियमित स्कूल आना प्रभावित हुआ है। क्योंकि अभिभावकों को लगता है कि अगर बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो क्या हुआ? नाम तो कटेगा नहीं। फिर फेल भी नहीं होना है तो उसे स्कूल भेजने का क्या फायदा है।
14. कम उम्र के बच्चों का नामांकन भी बच्चों के नियमित स्कूल न आने का एक प्रमुख कारण है।
15. स्कूलों में काम की मॉनिटरिंग करने वाले सरकारी स्टाफ की कमी है। अगर किसी स्कूल की शिकायत होती भी है तो कोई कार्रवाई नहीं होती। क्योंकि शिक्षक अपनी राजनीति पहुंच का इस्तेमाल करके चीजों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। इसे शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक दखल के रूप में देखा जा सकता है।

पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को स्कूल लाने की मुहिम

चामुर्ची रू सर्व शिक्षा मिशन के तहत डुवार्स के विभिन्न स्कूलों में ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल से

जोड़ने के उद्देश्य से कार्यक्रम किये जा रहे हैं। इसी के तहत शनिवार को चामुर्ची पंचायत के न्यू डुवार्स डिवीजन के प्राथमिक स्कूल में विविध कार्यक्रम हुए। वहीं न्यू डुवार्स चाय बागान प्राथमिक स्कूल एवं न्यू डुवार्स हिंदी जूनियर हाई स्कूल द्वारा स्कूल चलो कार्यक्रम रैली सहित चित्रांकन व निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई।

बारिश की परवाह न करते हुए बच्चों ने स्कूल चलो का नारा देते हुए रैली निकाली। धुपगुड़ी पश्चिम मंडल के स्कूल परिदर्शक दुलाल सरकार ने बताया कि इसी तरह पन्द्रह जुलाई तक स्कूल चलो कार्यक्रम के तहत स्कूलों में विविध कार्यक्रम किये जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत सभी बच्चों को स्कूल के द्वार तक पहुंचाना है। दुलाल सरकार ने बताया कि सर्व शिक्षा मिशन के तहत स्कूल चलो कार्यक्रम किया जा रहा है। बच्चों ने आज न्यू डुवार्स चाय बागान की परिक्रमा करते हुए स्कूल छोड़ चुके बच्चों को स्कूल में आने का आह्वान किया गया।

न्यू डुवार्स चाय बागान प्राथमिक स्कूल के शिक्षक मो. फिरोज अंसारी एवं शेखर केवट ने बताया कि सर्व शिक्षा मिशन के तहत हो रहे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पांच वर्ष से ऊपर सभी बच्चों को स्कूल भेजना है। उन्होंने कहा कि चाय बागान क्षेत्र में अधिकतर बच्चे आर्थिक तंगी के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। इन बच्चों को शिक्षा के पुनरु जोड़ना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।

सन्दर्भ:-

1. शिक्षण – मरिअम वेबस्टर ऑनलाइन शब्दकोश से परिभाषा
2. भारतीय शिक्षा का इतिहास
3. भारतीय शिक्षा
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (वार्षिक रिपोर्ट)
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (वार्षिक रिपोर्ट)
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (वार्षिक रिपोर्ट)

म.प्र.के औद्योगिक विकास में राज्य सरकारकी नीतियों का मुल्यांकन

ज्योति विश्वकर्मा

शोधार्थी

वाणिज्य विभाग

बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

मध्य प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक निकास, दूरसंचार, मोटरवाहनों, सूचना प्रौद्योगिकी आदि उच्च तकनीकी उद्योगों के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। दूरसंचार प्रणालियों के लिए यह राज्य ऑप्टिकल फाइबर का उत्पादन कर रहा है। इंदौर के पास पीठमपुर में बड़ी संख्या में मोटर वाहन उद्योग स्थापित हुए हैं। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उद्योग हैं – भोपाल में श्वभारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.इ, होशंगाबाद में शसिक्योरिटी पेपर मिल, देवास में नोट छापने की प्रेस, नेपानगर में अखबारी कागज की मिल और नीमच की अल्कागलॉयड फैक्ट्री।

- गत वर्ष राज्यस में सीमेंट का उत्पादन 12.49 लाख मीट्रिक टन हुआ।
- पीठमपुर में जल्दी ही एक मालवाहक विमान परिसर स्थापित किया जा रहा है।
- भारत सरकार इंदौर में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित कर रही है। समग्र आर्थिक विकास नीति लागू कर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्यी ने निवेश को आकर्षित करने के लिए आकर्षक छूट देने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा की है। अब तक उद्योग लगाने की इच्छाक ज़ाहिर करने वाले 5200 करोड़ रुपये निवेशप्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
- सागर ज़िले के बीना में काफी समय से लंबित 10,300 करोड़ रुपये की लागत वाली ओमान बीना तेलशोधक परियोजना तैयार है।
- भारत सरकार ने धार ज़िले के पीठमपुर में एक राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण, अनुसंधान तथा विकास परियोजना को मंजूरी दे दी है।
- राज्यक सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति लागू की है।
- मध्य प्रदेश में निम्न स्तर का कोयला प्रचुर मात्रा में होता है, जो बिजली उत्पादन के

अनुकूल है। पनबिजली उत्पादन की भी यहाँ अपार क्षमता है। यहाँ राज्य में वर्ष 2005–2006 में विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 7934.85 मेगावाट थी। यहाँ 902.5 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता के आठ पनबिजली केंद्र हैं। राज्य के 51,806 में से 50,475 गांवों में बिजली पहुंच चुकी है।

खनिज उत्पादन के क्षेत्र

खनिज उत्पादन के क्षेत्र में राज्य का विशिष्ट स्थापन है। वर्ष 2005–06 में 5312.65 करोड़ रुपये के खनिजों का उत्पादन हुआ। राज्य में 21 तरह के खनिज निकाले जाते हैं। 2006 में डोलोमाइट का उत्पादन 128 हजार मीट्रिक टन, हीरे का उत्पादन 44149 हजार कैरेट और चूना पत्थर का 25865 हजार मीट्रिक टन, बॉक्साइट का उत्पादन 87 हजार मिलियन मीट्रिक टन, ताम्र अयस्को का उत्पादन 1706 हजार मिलियन मीट्रिक टन और कोयले का उत्पादन 54000 हजार मिलियन मीट्रिक टन रहा। यह राज्य चंदेरी और माहेश्वर के पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघे से बने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अवस्थित हिंगलाजगढ़ परमार मूर्तिकला के विशिष्ट केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध है।

हमारे देश में उत्पादन और राष्ट्रीय आय की वृद्धि में लघु व कुटीर उद्योगों का बहुत महत्व है। कुटीर उद्योग परम्परागत उद्योग हैं, इनमें कम पूंजी लगती है तथा घर के सदस्यों द्वारा ही वस्तुएं बना ली जाती हैं। लघु उद्योग में भी कम पूंजी लगती है।

लघु उद्योग इकाई ऐसा औद्योगिक उपक्रम है जहाँ संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 1 करोड़ रुपये से अधिक न हो, किन्तु कुछ मद जैसे कि हौजरी, हस्त-औजार, दवाइयों व औषधि, लेखन सामग्री मर्दें और खेलकूद का सामान आदि में निवेश की सीमा 5 करोड़ रुपये तक थी, लघु उद्योग श्रेणी को नया नाम लघु उद्यम दिया गया है।

सरकार अब इन उद्योगों हेतु ऋण उपलब्ध करा रही है और इससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल रही है तथा बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो रहा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योगों का स्थान प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। एक जमाना था जब भारतीय ग्रामोद्योग उत्पाद का निर्यात विश्व के अनेक देशों में किया जाता था। भारतीय वस्तुओं का बाजार चर्मात्कर्ष पर था। किन्तु औपनिवेशिक शासन में ग्राम उद्योगों का पतन हो गया। फलतः हमारे गाँव एवं ग्रामवासी गरीबी के दलदल में फँस गए हैं। ऐसे गाँवों के विकास में ग्रामोद्योग का अपना महत्व है।

विकास के अभाव में भारत की समृद्धि सम्पन्नता व आत्मनिर्भरता अर्थहीन है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, 1949 ने अपनी रिपोर्ट में जीवन के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है नगरों का विकास गाँवों से होता है और नगरवासी निरन्तर ग्रामवासियों के परिश्रम पर ही पनपते हैं। जब तक राष्ट्र का ग्रामीण कर्मठ है तब तक ही देश की शक्ति और जीवन आरक्षित है। जब लम्बे समय तक

शहर गाँवों से उनकी आभा और संस्कृति को लेते रहते हैं और बदले में कुछ नहीं देते तब वर्तमान ग्राम्य जीवन तथा संस्कृति के साधनों का ह्रास हो जाता है और राष्ट्र की शक्ति कम हो जाती है। गाँवों के विकास में लघु एवं कुटीर उद्योग की भूमिका को स्पष्ट करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने कहा था: जब तक हम ग्राम्य जीवन को पुरातन हस्तशिल्प के सम्बंध में पुनः जागृत नहीं करते, हम गाँवों का विकास एवं पुनर्निर्माण नहीं कर सकेंगे। किसान तभी पुनः जागृत हो सकते हैं जब वे अपनी जरूरतों के लिये गाँवों पर ही निर्भर रहें न कि शहरों पर, जैसा की आज। उन्होंने आगे कहा था, बिना लघु एवं कुटीर उद्योगों के किसान मृत है, वह केवल भूमि की उपज से स्वयं को नहीं पाल सकता। उसे सहायक उद्योग चाहिए। गाँधीजी ने परतंत्रत काल में भारतवासियों की दुर्दशा देखने के बाद राष्ट्रीय आन्दोलन एवं विकास की दृष्टि से एकादश व्रत के साथ-साथ कुछ रचनात्मक कार्यक्रम तय किए थे। इसमें खादी और दूसरे ग्रामोद्योग को ग्राम विकास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उस समय भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर विदेशी व्यापार को चोट पहुँचाने की दृष्टि से इसका महत्व कम नहीं था।

स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू यद्यपि देश के तीव्रगामी विकास के लिये बड़े उद्योगों को अधिक महत्व देते थे, फिर भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु गाँवों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल दिया करते थे। उनका मानना था कि गाँवों के विकास के लिये घरेलू उद्योग का विकास स्वतंत्र इकाइयों के रूप में किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय विकास की योजना बनाने एवं कार्यान्वित करने के लिये 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। जिसने स्पष्ट किया है— लघु एवं कुटीर उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं जिनकी कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

देश में बेरोजगारों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। कृषि प्रधान देश की सीमित खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल बेरोजगारों को अपने में खपा नहीं सकता है। सरकारी स्तर पर नौकरियाँ बढ़ाने की व्यवस्था करने की सम्भावना भी नहीं लगती है। ऐसी स्थिति में हर हाथ को काम देने के लिये ग्रामोद्योग का विकास उपयुक्त रणनीति हो सकता है।

आजादी के बाद लघु उद्योगों के विकास के लिये अत्यधिक प्रयास किए गए। सन 1948 में देश में कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में इनके विकास हेतु 42 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। फिर 1951ए 1977ए 1980 एवं 1991 की औद्योगिक नीतियों की घोषणाओं में लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रमुख स्थान दिया गया है। सबके मिले-जुले प्रयासों से लघु उद्योगों की प्रगति हुई तथा इससे देश में बेरोजगारी दूर करने तथा अर्थव्यवस्था को सुधारने में काफी मदद मिली है।

देश में पंजीकृत तथा कार्यरत लघु औद्योगिक इकाइयों की गणना पहली बार 1972 में पूर्ण हुई थी जिसमें 1.40 लाख इकाइयों की गणना की गई थी। वर्तमान गणना 15 वर्ष बाद 1988 में संपन्न हुई है जिसके अनुसार देश में 5.82 लाख इकाइयां कार्यरत हैं। 15 वर्षों के तुलनात्मक

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उत्पादन, रोजगार व अन्य दृष्टि से लघु औद्योगिक क्षेत्र ने उच्च वृद्धि दर प्राप्त की है। इनसे वर्ष 1972.73 में 16.53 लाख लोगों को रोजगार मिला था वह वर्ष 1987.88 में बढ़कर 36.66 लाख तक पहुँच गया। निर्यात में भी वृद्धि की दर अधिक रही है। वर्ष 1972.73 में 127 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया था जो वर्ष 1987.88 में बढ़कर 2ए499 करोड़ रुपये हो गया। रोजगार एवं निर्यात की सम्भावना को देखते हुए सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिये आवंटन में सातवीं योजना के मुकाबले में आठवीं योजना में चौगुनी वृद्धि की है।

वर्गीकरण

औद्योगिक आर्थिक क्रियाकलापों को मुख्यतः चार वर्गों में बांटा जा सकता हैरू

प्राथमिक क्षेत्र (प्राइमरी सेक्टर)

इसमें मुख्यतः कच्चे माल के निष्कर्षण (मजतबजपवद) से सम्बन्धित क्रियाकलाप आते हैं। जैसे – खनन (माइनिंग), कृषि आदि

द्वितीयक क्षेत्र (सेकेन्डरी सेक्टर)

इसमें तेल-शोषक कारखाने, निर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) से जुड़े उद्योग आदि आते हैं

तृतीयक क्षेत्र (टर्शियरी सेक्टर)

इसमें सेवायें जैसे कानून, बैंक, स्वास्थ्य एवं उत्पादों के वितरण से सम्बन्धित उद्योग आते हैं।

चतुर्थक क्षेत्र

यह अपेक्षाकृत नवीन क्षेत्र है। इसमें ज्ञान आधारित उद्योग आते हैं। जैसे अनुसंधान, डिजाइन एवं विकास कम्प्यूटर प्रोग्रामन, जैवरसायन आदि आते हैं।

इनके अतिरिक्त एक पांचवा क्षेत्र का अस्तित्व भी माना जाता है जो बिना लाभ के कार्य करने का क्षेत्र है।

लघु उद्योग

लघु उद्योग (छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयाँ/उंसस'बंसम पदकनेजतल) वे होती हैं जो मध्यम स्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रारम्भ करती हैं। इन इकाइयों में श्रम शक्ति की मात्रा भी कम होती है और सापेक्षिक रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं का कम मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ये बड़े पैमाने के उद्योगों से पूंजी की मात्रा, रोजगार, उत्पादन एवं प्रबन्ध, आगतों एवं निर्गतों के प्रवाह इत्यादि की दृष्टि से भिन्न प्रकार की होती है। ये कुटीर उद्योगों से भी इन आधारों पर भिन्न होती हैं— उत्पादन में यंत्रिकरण की मात्रा, मजदूरी पर लगाये गये श्रमिकों एवं परिवारिक

श्रमिकों के अनुपात, बाजार का भौगोलिक आकार, विनियोजित पूंजी इत्यादि। लघु उद्योगों का वर्गीकरण तीन प्रकार उद्योगों में किया है— 1. सूक्ष्म उद्योग 2. लघु उद्योग 3. मध्यम उद्योग।

मुख्यतया लघु उद्योगों को इन में विनियोजित राशि के मापदण्डों से वर्गीकरण किया जाता है। निर्माण उपाय के अन्तर्गत सूक्ष्म उद्योग वह है जहाँ प्लांट एवं मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होता है। लघु उद्योग वह है जहाँ प्लांट एवं मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपये से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपये से कम होता है। मध्यम उद्योग वह है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में निवेश पाँच करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपये से कम होता हो। सेवा उद्योग के स्वरूप में एक सूक्ष्म उद्योग वह है जहाँ उपकरणों में निवेश 10 लाख रुपये से आगे नहीं बढ़ता है और लघु उद्योग, जहाँ उपकरणों में निवेश 10 लाख रुपये से अधिक लेकिन 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है एवं मध्यम उद्योग जहाँ उपकरणों में निवेश 2 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपये से कम न हो।

भारतीय आर्थिक विकास में लघु एवं कुटीर पैमाने के उद्योगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लघु पैमाने के उद्योग और कुटीर उद्योग भारत के विनिर्माण क्षेत्र की संरचना एवं स्वरूप के महत्वपूर्ण भाग हैं।

भाषा की दृष्टि से यह एक आम प्रवृत्ति रही है कि कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग तथा लघु पैमाने के उद्योगों का आशय एक साथ ही समान रूप से लगाया जाता है जबकि इनमें आधारभूत अन्तर है। कुटीर उद्योग तो किसी एक परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्ण या अंशकालिक तौर पर चलाया जाता है। इनमें पूंजी निवेश नाम मात्र का होता है। उत्पादन भी प्रायः हाथ द्वारा किया जाता है। परम्परागत ढंग से चलने वाली उत्पादन प्रक्रिया में वेतन भोगी श्रमिक नहीं होते हैं। लघु उद्योगों में आधुनिक ढंग से उत्पादन कार्य होता है। सवेतन श्रमिकों की प्रधानता रहती है तथा पूंजी निवेश भी होता है। कतिपय कुटीर उद्योग ऐसे भी हैं, जो उत्कृष्ट कलात्मकता के कारण निर्यात भी करते हैं। अतः उन्हें लघु क्षेत्र में रखा गया था, जिससे उन्हें भी सभी सुविधाएं प्राप्त होती रहे।

औद्योगिक नीति, 1991 का मूल्यांकन

तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी. वी. नरसिंहराव ने इस नीति को उदार नीति बताते हुए अगस्त, 1991 को राज्य सभा में कहा था कि—

सरकार ने औद्योगिक नीति, 1991 को एक खुली औद्योगिक नीति की संज्ञा दी है। इसमें अनेक आधारभूत परिवर्तन किये गये हैं। औद्योगिक लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन व्यवस्था तथा एकाधिकार अधिनियम का अधिकांश भाग समाप्त कर दिया गया है। विदेशी पूंजी के पर्याप्त स्वागत की नीति अपनाई गई है, लोक उपक्रमों की भूमिका को पुनरु परिभाषित किया गया तथा औद्योगिक स्थानीयकरण की नीति को पुनरु तय किया गया है।

उपरोक्त विशेषताओं के बावजूद कुछ आलोचकों का विचार है कि बड़ी कम्पनियों और

औद्योगिक घरानों के विस्तार, विलीनीकरण एवं अधिग्रहण की जाँच व्यवस्था को समाप्त करके सरकार ने आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण को रोकने के संदर्भ में उचित नहीं किया है। कुछ आलोचकों का विचार है कि विदेशी पूँजी एवं तकनीक के स्वागतपूर्ण आगमन से घरेलू उद्योगों के विकास पर विप. रीत प्रभाव भी पड़ सकता है। संक्षेप में औद्योगिक नीति, 1991 के लिए यह कहा जा सकता है कि यदि विदेशी पूँजी एवं तकनीक के आगमन पर सावधानीपूर्ण निगरानी रखी जाए तो यह नीति भारतीय औद्योगिक अर्थव्यवस्था (पदकपंद पदकनेजतपंस म्बवदवउल) को आधुनिक, कुशल गुणवत्ता प्रधान और विश्व बाजार में प्रतियोगी बनाने में महत्वपूर्ण प्रयास सिद्ध हो सकती है।

सन्दर्भ:—

लघु उद्योग में बानाये जा सकने वाले सामानों की सूची
ग्रामीणों की जीवन रेखा रू लघु एवं कुटीर उद्योग
लघु उद्योग दिवस

म.प्र.के औद्योगिक विकास में राज्य सरकारकी नीतियों की भूमिका

ज्योति विश्वकर्मा

शोधार्थी

वाणिज्य विभाग

बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

औद्योगिक नीति और कार्य योजना

मध्य प्रदेश को देश के औद्योगिक रूप से अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए बहुत-सी संभावनाएं हैं। औद्योगिक नीति और कार्य योजना, 1994 का उद्देश्य औद्योगिक विकास को गति और सुदृढ़ता प्रदान करना, अधिक पूंजीगत निवेश को आकर्षित करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करना और लोगों के जीवन स्तर के उन्नयन में सहायता के लिए अतिरिक्त रोजगार अवसर प्रदान करना है।

औद्योगिक नीति और कार्य योजना, 1994 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर हो रहे तीव्र आर्थिक परिवर्तनों का ध्यान रखती है। आर्थिक उदारीकरण के संदर्भ में, प्रशासन की विनियामक भूमिका को कम करने की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रशासन की सुविधा प्रदाता की भूमिका को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस दस्तावेज में भौतिक और मानव संरचना आधार को सुदृढ़ करने, सुविधाओं और रियायतों के साथ-साथ संवर्धक उपायों का विवरण है। यह कराधान के प्रयोग का वर्णन रोजगार सृजन में बढ़ोतरी और विभिन्न क्षेत्रों के मध्य योगवाही संपर्क विकसित करने के लिए एक उपकरण के रूप में करता है।

संरचनात्मक विकास को गति देने और संवर्धक गतिविधियों में तेजी लाने की दृष्टि से सरकार का प्रयास आगामी दो वर्षों में उद्योगों के लिए बजटीय आवंटन में वर्तमान चार प्रतिशत से सात प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का है।

औद्योगिक नीति और कार्य योजना, 1994 उत्तरदायी प्रशासन पर विशेष बल देती है। यह औद्योगिक विकास के लिए प्रशासन को एक अधिक परिणामोन्मुखी उत्तरदायी तंत्र बनाने के उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है।

औद्योगिक नीति और कार्य योजना, 1994 के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. मध्य प्रदेश को औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों की श्रेणी में स्थान दिलाना।
2. षबिना उद्योग के विकास प्रखंडों में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करके संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करना।
3. राज्य के मानव और प्राकृतिक संसाधनों के अधिकाधिक उपयोग से राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करना।
4. अधिक प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार अवसरों का सृजन करना।
5. अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना।
6. महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करना।
7. ग्रामोद्योगों के गतिमान विकास के लिए विशेष अवसरों का सृजन करना।
8. लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए नए अवसरों का सृजन करना।
9. बड़े और मध्यम क्षेत्र में नए निवेशों का आकर्षित करने के लिए अवसरों का सृजन करना।
10. लघु उद्योग इकाइयों और बड़े तथा मध्यम उद्यमों के मध्य योगवाही संपर्कों की सुविधा प्रदान करना।
11. उच्च प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करना।
12. शत-प्रतिशत निर्यातान्मुख इकाइयों के लिए विशेष सुविधाएं सृजित करना।
13. षसंवेगी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना और विशेष योजनाएं बनाना।
14. संरचनात्मक विकास में निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करना।
15. औद्योगिक विकास के लिए सहकारिता क्षेत्र को प्रोत्साहित करना।
16. वाणिज्यिक गतिविधियों को सुविधाएं प्रदान करना ताकि औद्योगिक विकास के संवर्धन में वाणिज्य एक महत्वपूर्ण कारक बन सके।
17. पारदर्शिता और तीव्र निपटान की दृष्टि से प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण को सुनिश्चित करना।
18. उद्यमियों से निरंतर अंतरक्रिया के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण को सुनिश्चित करना।

अपने समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों, तीव्रता से विकसित हो रही संरचनाओं और एक सुदृढ़ मानव संसाधन आधार के कारण मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की तीव्रतर गति के लिए अत्यधिक संभावनाएं हैं। राज्य की गतिशीलता का संकेत इस तथ्य से मिलता है कि चुंगीकर समाप्त करने वाला यह देश का पहला राज्य है, फाइबर ऑप्टिक्स जैसी अग्रणी प्रौद्योगिकी अपनाते हुए और गैर-सरकारी क्षेत्र में संरचना विकास प्रारंभ करते हुए एक टोल सड़क का विकास करने वाला भी

पहला राज्य है। औद्योगिक नीति और कार्य योजना, 1994 का लक्ष्य राज्य की औद्योगिक संभावनाओं का चहुंमुखी विकास करना है।

1. रोज़गार सृजन

1. प्रत्यक्ष और परोक्ष रोज़गार सृजित करने के लिए औद्योगीकरण एक महत्वपूर्ण औज़ार है।
2. उच्च प्रौद्योगिकीय उद्योगों के विकास को प्राथमिकता देने के साथ-साथ यह दस्तावेज रोज़गार सृजन पर भी विशेष बल देता है।
3. मानव संसाधन आधार के विकास के लिए पॉलिटेक्निकों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाया जाएगा।
4. अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों तथा महिलाओं के लिए उद्यमिता और रोज़गार अवसरों के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा।

2. आधारभूत संरचना

1. अभिवृद्धि केंद्र विकास के केंद्र बने रहेंगे। उनमें प्रदान की गई सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। एयर कार्गो कंप्लेक्स और कंटेनर डिपो जैसी आधारभूत संरचनाओं का तीव्रता से विकास किया जाएगा। संरचना विकास में निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाएगा।
2. राज्य सरकार इस शर्त पर कि भूमि का उपयोग औद्योगिक कार्यों के लिए होगा, उद्यमियों को 99 वर्षों के पट्टे पर भूमि/शेडों का आवंटन करेगी। इस अवधि के दौरान, राज्य सरकार को नियमानुसार पट्टा किराया बढ़ाने का अधिकार होगा। उद्यमियों को उन्हें पट्टे पर दी गई भूमि को बेचने का अधिकार नहीं होगा। राज्य सरकार की अनुमति के बिना भू-उपयोग में परिवर्तन की आज्ञा नहीं होगी। पट्टा विलेख की शर्तों के उल्लंघन पर पट्टे को रद्द किया जा सकेगा।
3. भूमि और शेडों के हस्तांतरण से संबंधित प्रक्रियाओं और उद्योग के संविधान में परिवर्तन संबंधी प्रावधानों का सरल बनाया जाएगा।
4. शहरी भूमि सीमा अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को छूट देने के लिए उद्योग आयुक्त को अधिकार प्रदान किए जाएंगे।
5. औद्योगिक विकास केंद्रों में प्रशासनिक प्रक्रियाओं के दुहराव को समाप्त किया जाएगा।
6. प्रत्येक विकास केंद्र में अग्नि शमन और पुलिस स्टेशन जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
7. सरकार सामान्य बहिस्त्रावी उपचार संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी।

8. विकास केंद्रों में सामाजिक और संरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए उद्योग संघों को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रत्येक विकास केंद्र में एक विद्यालय, चिकित्सा केंद्र और मनोरंजन सुविधाओं के लिए रियायती दरों पर भूमि प्रदान की जाएगी।
9. विकास केंद्रों के निकट हवाई पट्टियों के निर्माण के लिए उद्यमियों को रियायती दर पर भूमि आवंटित की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए अधिग्रहित निजी भूमि को वास्तविक अधिग्रहण लागत पर उपलब्ध कराया जाएगा। ये हवाई पट्टियां सार्वजनिक उपयोग के लिए होंगी।
10. भोपाल, इंदौर और रायपुर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के मामले को भारत सरकार के साथ उठाया जाएगा। राज्य के अधिकाधिक औद्योगिक केंद्रों को हवाई नक्शे पर लाने तथा हवाई सेवाओं की वर्तमान आवृत्ति को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। हवाई अड्डों के निर्माण में निजी क्षेत्र की सहभागिता का स्वागत किया जाएगा। इंदौर और भोपाल के मध्य एक इंटरसिटी रेल सेवा स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे। इस मामले को भारत सरकार के साथ उठाया जाएगा।
11. पीथमपुर में शीघ्र ही एक कंटेनर डिपो का संचालन प्रारंभ हो जाएगा। राज्य के अन्य भागों में भी कंटेनर डिपो स्थापित किए जाएंगे।
12. राज्य के औद्योगिक उत्पादों के तीव्र परिवहन के लिए सुविधा सुनिश्चित करने हेतु शीघ्र ही इंदौर में एक एयर कार्गो कांप्लेक्स प्रारंभ किया जाएगा।
13. भोपाल में एक व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके बाद क्षेत्रीय व्यापार केंद्रों की स्थापना की जाएगी। नियमित रूप से व्यापार मेलों का आयोजन किया जाएगा। ये सुविधाएं वाणिज्य को औद्योगिक विकास में अधिक गतिशील योगदान देने वाला कारक बनाने में सहायता करेंगी।
14. राज्य सरकार उद्योग संघों द्वारा टूलिंग और परीक्षण केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी। इन केंद्रों में सरकारी सहायता से प्रशिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इंदौर में इंडो-जर्मन टूल रूम द्वारा विकसित किया जा रहा कांप्लेक्स कुछ ही महीनों में कार्य करना प्रारंभ कर देगा।
15. ए.के.वी.एन. विकास केंद्रों सेवाएं देना जारी रखेंगे, वाणिज्यिक आधार पर ऐसी सेवाओं का संचालन करने के लिए निजी एजेंसियों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
16. औद्योगिक क्षेत्रों और संपदाओं में लागत बंटाई आधार पर दिन प्रतिदिन की रखरखाव सेवाएं प्रदान करने के लिए उद्योग संघों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
17. निजी क्षेत्र द्वारा औद्योगिक मॉडल टाउनशिपों के विकास का स्वागत किया जाएगा। राज्य सरकार अपनी समान सहभागिता के माध्यम से भूमि प्रदान करेगी। इन टाउनशिपों को न केवल शेड और विकसित औद्योगिक भूखंड, अपितु आवास, विद्यालय, चिकित्सा केंद्र और मनोरंजन सुविधाओं जैसी सामाजिक आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।

18. लघु और अति लघु उद्योग क्षेत्र के लिए अभिवृद्धि केंद्रों की स्थापना में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य सरकार ऐसे केंद्रों के लिए अपनी समान सहभागिता के माध्यम से भूमि प्रदान करेगी। इस उद्देश्य के लिए सहकारिता क्षेत्र को रियायती दरों पर भूमि प्रदान की जाएगी।
19. भारत सरकार ने राज्य में एक मिनी-अभिवृद्धि केंद्र की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे ही मिनी अभिवृद्धि केंद्र स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे। इन मिनी अभिवृद्धि केंद्रों को अति लघु और लघु उद्योग क्षेत्र के लिए नियत किया जाएगा और इनमें बड़े अभिवृद्धि केंद्रों के समकक्ष सुविधाएं और रियायतें प्रदान की जाएंगी।
20. खादी और ग्रामोद्योगों की स्थापना के लिए रियायती मूल्य पर राजस्व भूमि उपलब्ध कराने के लिए जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया जाएगा।

भारत की औद्योगिक नीतियाँ

१९४७ में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक भारत ६ बार औद्योगिक नीति की घोषणा कर चुका है, जो कि निम्नलिखित हैंरू

पहली औद्योगिक नीति 1948,

दूसरी औद्योगिक नीति 1956,

तीसरी औद्योगिक नीति 1977,

चौथी औद्योगिक नीति 1980,

पाँचवीं औद्योगिक नीति 1990,

छठी औद्योगिक नीति 1991

.इकसवीं शताब्दी में, महिलाओं ने न सिर्फ धन अर्जन करने में अपनी भूमिका दर्ज कराई है बल्कि भावी संगठनों का निर्माण करते हुए अभिकर्ताओं का स्वरूप भी परिवर्तित किया है। हाल के वर्षों में, महिलाओं ने जीवन के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है।

विगत तीन दशकों में, महिलाओं ने कॉरपोरेट जगत में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, सामाजिक नैतिकता की बाध्यताओं को पार करते हुए घर तथा कार्यस्थल पर स्वयं को सफल उद्यमी एवं कार्यकारी व्यावसायिकों के रूप में साबित किया है। भारतीय महिला उद्यमी वर्ग ने नए उद्यमों को आरंभ करने एवं उनका सफलतापूर्वक संचालन करने में बेहतर कार्य-निष्पादन के कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं।

मैं इस बात में पूरी आस्था रखता हूँ कि किसी भी कार्यदल के नेता के पास लक्ष्य के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण एवं रणनीति बनाने की क्षमता होनी चाहिए तथा लक्ष्य को हासिल करने हेतु कार्यदल

को अति सावधानी एवं सतर्कतापूर्वक अपने प्रयासों को मूर्तरूप देने में प्रभावी नेतृत्व करना चाहिए। नेता को पक्षपात रहित एवं धैर्यवान होना चाहिए तथा उसकी क्षमताओं को समझते हुए एवं तदनुसार उत्तरदायित्वों का प्रत्यायोजन करते हुए जन प्रबंधन कौशल होना चाहिए। उसे अपने दृढ़ लक्ष्यों के प्रति अडिग रहना चाहिए। उसे अपने कर्मचारियों का मनोबल काफी बढ़ाकर रखना चाहिए और संगठन को संकट के भंवर से बाहर निकालना चाहिए।

मैंने हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है और यह पहली बार है कि पर्यटन एवं आतिथ्य सत्कार सेक्टर का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। अध्यक्ष की अपनी मौजूदा हैसियत में, मैं पर्यटन को बढ़-चढ़कर बढ़ावा दे रही हूँ। फिक्की में, हम लोग भारतीय उद्योग के संवर्धन हेतु अनेक समारोहों एवं पहलों के आयोजन में व्यस्त हैं। इनमें एक विषय है, जिसके प्रति मेरा काफी आत्मीय जुड़ाव है, – महिला उद्यमिता।

अप्रैल 2013 में, फिक्की महिला संगठन (एफ एल ओ) ने श्रम विषयों के विरुद्ध उद्यमिता उपाधि प्राप्त 150 महिला उद्यमियों की कहानियों का एक संकलन प्रकाशित किया। ये कहानियां हमें यह बताती हैं कि कैसे इन महिलाओं ने संघर्ष करते हुए, बाधाओं से लड़ते हुए उद्यमिता के जगत, पुरुषों के अधिपत्य वाले उद्यमिता जगत, में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति एवं स्थान दर्ज कराने में सफल हुई हैं। प्रत्येक कहानी महिलाओं के अटूट साहस, दृढ़ प्रतिज्ञा तथा स्त्री शक्ति के उद्भूत सामर्थ्य को सही अर्थों में प्रतिबिम्बित करती है।

जब कभी भी मैं इन कहानियों को पढ़ती हूँ, मैं काफी प्रेरित एवं अनुप्राणित महसूस करती हूँ। ये कहानियां मुझे मेरी महिला उद्यमिता के रूप में प्रयासों का स्मरण कराती हैं। 10 अक्टूबर, 2006 को, मेरे जीवन में बड़ा भूचाल आ गया जब मेरे पति का स्वर्गवास हो गया। मेरे पति के गुजर जाने के 10 दिनों के भीतर मुझे इस कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभालना पड़ा। मेरे परिवार के लोग तथा मेरे इस कंपनी के कर्मचारीगण मेरी ओर टकटकी लगाए हुए थे और मुझे उनके लिए एक बड़े उत्तरदायित्व को निभाना था। मैं कार्य में इस कदर व्यस्त हो गई कि मेरे पास विलाप का भी समय नहीं था। मेरे लिए, प्रत्येक कदम पर सब कुछ नया था और सीखने वाला था। हालांकि आतिथ्य सत्कार की अवधारणाएं हमारे मन-मानस में स्वतंत्र अंतर्निहित होती हैं, लेकिन इस संबंध में अपेक्षित पेशेवर प्रशिक्षण नहीं था। मैंने काम करते-करते इसे सीखा और अभी भी सीख रही हूँ।

महिला उद्यमिता की शक्ति की पहचान

मैंने भारत के किसी दूसरे उद्यमी की तरह चुनौतियों का सामना किया और अभी भी सामना कर रही हूँ। अब इनका सामना करना तो मेरे लिए अनिवार्य बन गया है। मैंने कभी हार नहीं मानी

है। मेरे धैर्य एवं संयम ने आज मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है जहां से मैं अब समाज को अपनी सेवाएं दे सकती हूँ।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभालने के बाद मेरे महत्वपूर्ण निर्णयों में श्ललितश्श ब्रांड नाम से समूह की नई पहचान बनानी थी। ब्रांड का नाम परिवर्तन एक बड़ी कवायद है, हमने इसका नाम बदलने से पहले एक साल तक इस संबंध में कड़ी मेहनत की। चूंकि मेरे पति ने इस व्यवसाय की स्थापना की थी, इस ब्रांड का नया नाम श्ललितश्श सहज ही सूझ गया। इस कंपनी की क्षमतादृढ़ता-क्षमता बढ़ती गई और मेरे कार्यभार संभालने के समय जहां हमारे पास सिर्फ सात ही होटल प्रचालन में थे, आज हमारा नाम भारत के निजी स्वामित्व वाले सबसे बड़े होटल श्रृंखलाओं में शुमार है।

मैं सिर्फ होटलों में ही नहीं बल्कि उपलब्धियों के निर्माण में भी विश्वास रखती हूँ। हम अपनी पहलों में स्थानीय लोगों विशेषकर महिलाओं, उनकी हस्तशिल्प कलाओं, संस्कृति एवं भोजन को शामिल करते हैं और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्हें प्रशिक्षण एवं रोजगार देते हैं। कोई भी राष्ट्र तभी विकास कर सकता है जब देश के सभी लोग शिक्षित हों और आर्थिक रूप से स्वनिर्भर हों।

उद्यमिता की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर लेने वाली महिलाओं की संख्या पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ी है। वैसे इनकी संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि होने के बावजूद भारत में महिला उद्यमिता को अभी काफी लंबा रास्ता तय करना है। आवश्यकता इस बात की है कि अधिक से अधिक महिलाओं को नया उद्यम आरंभ करने एवं संचालन कर सकने संबंधी उनकी क्षमताओं के प्रति उन्हें पूरी तरह आश्वस्त करने की है। इस कार्य में महिलाओं का हौंसला टूट जाना और इसे बीच में छोड़ देने का कारण कतई यह नहीं है कि एक उद्यमी बनना काफी कठिन है और बल्कि उन्हें अपनी उद्यमिता की राह में अनेक उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं।

भारत में सफल महिला उद्यमियों के अनेकोनेक उदाहरण मिलते हैं। जैसे दृ राधा भाटिया (अध्यक्ष, बर्ड ग्रुप), मल्लिका श्रीनिवासन (अध्यक्ष तथा सीईओ, ट्रैक्टर एण्ड फार्म इक्विपमेंट), प्रिया पॉल (अध्यक्ष, एपीजय पार्क होटल्स), शाहनाज हुसैन (सीईओ, शाहनाज हर्बल्स इन्क), एकता कपूर (संयुक्त प्रबंध निदेशक, बालाजी टेलीफिल्म्स) और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में उच्चतम मुकाम हासिल करने वाली महिलाएं जैसे इंद्रा कृष्णामूर्ति नूई (अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी पेप्सिको), नैनालाल किदवई (समूह महाप्रबंधक तथा देश प्रमुख, एच एस बी सी इंडिया), चंद्राकोचर (सीईओ तथा प्रबंधक निदेशक आई सी आई सी बैंक)।

भले ही महिलाएं व्यवसाय के संचालन में समान रूप से सक्षम हैं, लेकिन महिला उद्यमी बनने की उनकी राह में अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक अड़चनें हैं। इनमें सबसे प्रमुख न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में पुरुष अधिपत्य वाले कॉरपोरेट परिदृश्य का परंपरागत विचारधारा का होना है।

मुझसे अक्सर यह पूछा जाता है कि इतने वर्षों के मेरे कार्यकाल में क्या मुझे कभी लिंग-विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। मेरा जवाब हमेशा 'ना' में रहा है। मेरा यह मानना रहा है कि यदि किसी व्यक्ति में नेतृत्व की क्षमताएं हैं तो उसकी सफलता में लिंग संबंधी अड़चनें आती ही नहीं है और अगर आती भी हैं तो 'ना' के बराबर। प्रत्येक दिन के अंत में, किसी भी नेता की भूमिका एक ही होती है— किसी लक्ष्य को तय करना एवं उसका स्वरूप निर्धारित करना और उसके बाद पूरी टीम को इसकी प्राप्ति हेतु प्रेरित करना एवं मार्गदर्शन करना। इन विशिष्टताओं से पूर्ण व्यक्तित्व वाला कोई भी इंसान संगठन का सफल नेतृत्व कर सकता है।

सन्दर्भ:—

लघु उद्योग निर्देशिका (गूगल पुस्तक ; लेखक – अवधेश चतुर्वेदी)
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग आयुक्त (भारत सरकार)
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (भारत)
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (भारत)

ग्राम शिक्षा समिति,पालक संघ एवं सर्व शिक्षा अभियान एवं इसके क्रियान्विकरण का अध्ययन

शिवकुमार सेजकर
व्याख्याता (शोधार्थी)
सेवा सदन शिक्षा
महाविद्यालय बुरहानपुर

शोध निर्देशक
डॉ.कविता रायकवार
प्राचार्य
बी.एड.भोपाल डिग्री कॉलेज भोपाल

स्कूल शिक्षा मंत्री डा. नरोत्तम मिश्र ने बताया है कि प्रदेश की सभी एक लाख 837 शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में गठित पालक शिक्षक संघों का कार्यकाल अब दो वर्ष का होगा। डा. मिश्र ने बताया कि पालक शिक्षक संघों की कार्यप्रणाली को अधिक व्यवहारिक और परिणाममूलक बनाने के लिये मध्यप्रदेश जन शिक्षा नियम 2003 में संशोधन किये गये हैं। इन संशोधनों के परिणाम स्वरूप अब पालक शिक्षक संघ की कार्यकारिणी में प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों के माता-पिता या संरक्षक को मनोनीत किया जायेगा। साथ ही शाला में पढ़ रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के माता-पिता या संरक्षक को कार्यकारिणी में मनोनीत करने का प्रावधान भी किया गया है। कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में से ही पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जायेगा।

स्कूल शिक्षा मंत्री डा. मिश्र ने कहा कि इसके साथ ही कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को पद से हटाने संबंधी प्रावधान का समावेश भी नियमों किया गया है। इस नवीन प्रावधान के तहत पालक शिक्षक संघ के कर्तव्यों की घोर उपेक्षा करने, शाला शिक्षा कोष की राशि का दुरुपयोग करने तथा पालक शिक्षक संघ की बैठक में लगातार तीन महीने तक उपस्थित न रहने की स्थिति में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकेगा। हटाने की कार्यवाही जिला कलेक्टर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की जांच के आधार पर की जायेगी। मध्यप्रदेश जन शिक्षा नियम में संशोधन द्वारा बच्चों के संरक्षक के संबंध में भी स्थिति को स्पष्ट किया गया है। अब तक स्कूल में नामांकित प्रत्येक बालक के माता तथा पिता या संरक्षक को पालक शिक्षक संघ का सदस्य मानने का प्रावधान था। नवीन संशोधन के परिणाम स्वरूप अब बच्चे के माता तथा पिता दोनों के जीवित न होने, बच्चे माता-पिता के साथ न रहकर किसी अन्य व्यक्ति के साथ अन्य स्थान

पर रहने की स्थिति में ही संरक्षक को मान्यता प्रदान की जायेगी।

संविधान के 86 वे संशोधन अधिनियम के बाद से 6-14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई। इसके तुरन्त बाद ही मध्यप्रदेश में म.प्र. जन शिक्षा अधिनियम 2002 लागू किया गया। मध्यप्रदेश ने इस मामले में देश के अन्य राज्यों से बाजी मार ली। यह भी आशा व्यक्त की गई कि मध्यप्रदेश में बच्चों को न केवल अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी बल्कि उपलब्ध कराई जाने वाली शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होगी। 2002 में ही जन शिक्षा नियम के अनुसार प्राथमिक एवं मध्य स्तर की शालाओं के संचालन एवं व्यवस्था के लिए पालक शिक्षक संघ (पीटीए) के गठन का प्रावधान किया गया। यह एक क्रान्तिकारी कदम था, जिसमें स्थानीय समुदाय को शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने की कवायद की गई। पीटीए को कई अधिकारों एवं कर्तव्यों से लैस किया गया, जिसमें एक प्रकार से स्थानीय शिक्षा को पालकों के जिम्मे ही कर दिया गया। यानी बच्चों के नामांकन, उनका शाला में ठहराव, शाला का निर्माण, शाला का संचालन, शाला काश की देखरेख, शाला का निर्माण आदि कार्यों के लिए पीटीए को ही उत्तरदायी माना गया।

पीटीए के अध्यक्ष के लिए निर्वाचन का प्रावधान रखा गया, जो कि उस शाला में पढ़ने वाले किसी बच्चे के माता-पिता में से कोई हो सकता है और सचिव पद पर प्राधानाध्यापक को मनोनित माना गया। चूंकि शाला कोश की जिम्मेदारी पीटीए को दी गई है, इस वजह से पीटीए के निर्वाचन को लेकर कई विसंगतियां सामने आईं। कई शिकायतों के बाद सरकार ने नियमों में संशोधन कर मेरिट वाले बच्चे के माता या पिता को अध्यक्ष बनाये जाने का प्रावधान किया गया। पीटीए का गठन हो जाने के बावजूद यह पूरी तरह से फंक्शन में नहीं आ पाया। अध्यक्ष को भी सिर्फ शाला कोष से मतलब था। पीटीए के कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं होती है। इसलिए शासन स्तर पर पीटीए को प्रशिक्षण देकर उत्तरदायी और सशक्त बनाया जाने लगा। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम 2002 के नियम के अंतर्गत शालाओं के प्रबंधन को स्थानीय स्तर पर जवाबदेह बनाने के लिये पालक शिक्षक संघों का गठन कर शाला व्यवस्था के संबंध में इन संघों को पर्याप्त अधिकार दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि इन संशोधनों से पालक शिक्षक संघों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलेगी। कार्यकाल को दो वर्ष करने से पालक शिक्षक संघ द्वारा कराये जा रहे शाला भवनों के निर्माण कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण किये जा सकेंगे। इसके साथ ही अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों के माता-पिता या संरक्षक को कार्यकारिणी में सम्मिलित करने से शिक्षा के प्रति जागरूकता और रुचि लेने वाले व्यक्तियों को शाला स्तर पर शिक्षा व्यवस्था की बागडोर सौंपी जा सकेगी। लापरवाह तथा राशि का दुरुपयोग करने वाले पालक शिक्षक संघ के अध्यक्षों-उपाध्यक्षों को पद से हटाने संबंधी प्रावधान से शाला व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने में सहायता मिलेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि यह संशोधन चालू शैक्षणिक सत्र से लागू हो जायेंगे।

लक्ष्य

2003 तक शिक्षा गारंटी केन्द्र वैकल्पिक स्कूल में सभी बच्चों का स्कूल में होना.
 2007 तक सारे बच्चों द्वारा पांच साल के प्राथमिक स्कूली शिक्षा पूरा करना
 2010 तक सभी बच्चों का 8 साल का स्कूली शिक्षा पूरा करना
 जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता में प्रारंभिक शिक्षा पर जोर देना
 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर सभी लैंगिक और सामाजिक अंतराल को खत्म करना

उद्देश्य,

1. 2003 तक सभी स्कूल में हों.
2. 2007 तक प्राथमिक शिक्षा का 5 साल पूरा करना और 2010 तक स्कूली शिक्षा का 8 साल पूरा करना।
3. संतोषजनक गुणवत्ता और जीवन के लिए शिक्षा पर बल देना.
4. 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर सभी लैंगिक और सामाजिक अंतर को समाप्त करना।
5. वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण.सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अनुसार उन बस्तियों में नए स्कूल बनाने का प्रयास किया जाता है जहां स्कूली शिक्षा की सुविधा नहीं है और अतिरिक्त कक्षा, शौचालय, पीने का पानी, रखरखाव अनुदान और स्कूल सुधार अनुदान के माध्यम से मौजूदा स्कूलों की बुनियादी ढांचे में विकास करना है। जिन मौजूदा स्कूलों में अपर्याप्त शिक्षक हैं उनमें अतिरिक्त शिक्षक मुहैया कराना है, जबकि मौजूदा शिक्षकों की क्षमता को व्यापक प्रशिक्षण, विकासशील शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान और ब्लॉक और जिला स्तर पर एक क्लस्टर पर अकादमिक सहायता संरचना को मजबूत बनाने के लिए अनुदान से सुदृढ़ बनाया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान, जीवन कौशल सहित गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा लड़कियों और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान

उपलब्धियाँ

इस कार्यक्रम ने गांव स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। 2004 में भारत के कई गांवों को शामिल किया गया और प्रारंभिक शिक्षा केंद्र खोले गए।

दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में, एक गांव है जिसका नाम सतनाथापुरम है (शहररू सिकार्झी) जो कि नागपट्टिनम जिले में स्थित है, ये एक ऐसा गांव हैं जहां पहली बार इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू किया गया था। सभी के लिए शिक्षा के साथ राज्य सरकार की सहायता में गरीब

बच्चों के लिए दोपहर भोजन योजनाओं के चलते साक्षरता दर में उल्लेखनीय प्रगति को देखा गया। गैर सरकारी संगठनों ने उदारतापूर्वक गरीब लोगों के लिए भूमि दान में दी और ग्राम पंचायतों द्वारा स्कूलों के निर्माण को पूरा किया गया।

केंद्रित किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान, डिजिटल अंतराल को खत्म करने के लिए कंप्यूटर शिक्षा भी प्रदान करने का प्रयास करता है। बच्चों की उपस्थिति कम होने के चलते मध्याह्न भोजन की शुरुआत की गई थी।

अच्छे परिणामों के लिए, सर्व शिक्षा अभियान के परिव्यय को 2005-06 में 7156 करोड़ रुपये से 2006-07 में 10,004 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है। साथ ही 500,000 अतिरिक्त क्लास रूम का निर्माण और 1,50,000 अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति करना लक्ष्य है। वर्ष 2006-07 के दौरान शिक्षा उपकर के माध्यम से राजस्व से प्रारम्भिक शिक्षा कोष के लिए 8746 करोड़ हस्तांतरण करने का फैसला किया गया।

पालक-शिक्षक संघ अध्यक्ष के लिए होगा चुनाव

159 स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, 50 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित, 23 से 30 जुलाई तक होगी प्रक्रिया।

अब स्कूल में अधिक अंक लाने वाले बच्चों के अभिभावक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) के अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। इस कमेटी का गठन लोकतांत्रिक ढंग से होगा। इसमें खास बात यह है कि कमेटी में महिलाओं को भी नेतृत्व का मौका मिलेगा। कमेटी में 50 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी।

पीएस कमेटी (प्राथमिक शाला) में 18 और एमएस (माध्यमिक शाला) कमेटी में 16 सदस्य होंगे। पीएस और एमएस कमेटी में क्रमशः 14 व 12 सदस्य स्कूलों में दर्ज विद्यार्थियों के अभिभावकों के बीच से चुने जाएंगे। इसके लिए आनुपातिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके अलावा दोनों कमेटियों के लिए 4-4 सदस्य अलग से मनोनीत होंगे।

मनोनीत सदस्यों को न तो अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव लड़ने का अधिकार होगा और ना ही वोटिंग कर सकेंगे। बीईओ एसडी सिन्हा ने बताया ब्लाक के 113 प्राथमिक व 46 माध्यमिक स्कूलों में 23 से 30 जुलाई तक कमेटी का गठन होगा। इसके लिए ब्लाक स्तर पर स्कूल प्रधान पाठक व प्राचार्यों को दो चरणों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

ऐसे होगी चुनाव प्रक्रिया

बीआरसी गोपाल भास्करे ने बताया बच्चों को पीएस में कक्षा 2 से 5 व एमएस में कक्षा 6 से 8 तक के 3 समूह में बांटा जाएगा। पहले वंचित समूह में एससी, एसटी, पट्टाधिकारी परिवार, वन पत्राधिक.

ारी परिवार, घुमक्कड़ जाति व निरूशक्त बच्चे शामिल होंगे। दूसरा समूह कमजोर वर्ग का होगा। इसमें बीपीएल कार्डधारी परिवार के बच्चे होंगे। तीसरे समूह में अन्य वर्ग के शेष बच्चों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद आनुपातिक संख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण होगा। तत्पश्चात लाटरी सिस्टम से सदस्य चुने जाएंगे। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पद के लिए अभिभावकों में से चुना गया कोई भी सदस्य चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए वोट लाटरी सिस्टम से चुने गए सदस्य ही करेंगे।

इस तरह बनेगी पीएस स्कूल कमेटी

कुल सदस्य 18 होंगे। इनमें से 14 बच्चों के अभिभावक में से होंगे। एक वार्ड का पंच या पार्षद होगा जो मनोनीत होगा। एक सदस्य महिला पंच या पार्षद होगी जिसे सरपंच या निकाय अध्यक्ष द्वारा चुना जाएगा। एक सदस्य शाला का प्रधान पाठक या प्रभारी पदेन सदस्य सचिव होगा। अंतिम सदस्य शाला में कार्यरत महिला शिक्षिका होगी।

इस तरह बनेगी एमएस स्कूल कमेटी

कुल 16 सदस्य होंगे। इनमें से 12 बच्चों के अभिभावक में से होंगे। एक पंच या पार्षद मनोनीत सदस्य होगा। एक सदस्य महिला पंच या पार्षद होगी जिसे सरपंच या नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा। एक सदस्य प्रधान पाठक या प्रभारी पदेन सदस्य सचिव होगा।

गतिविधियां

नागरिक बुनियादी सुविधाओं का विकास और सुधार

इसमें कक्षा निर्माण, पानी की सुविधा, परिसर की दीवार, धोने का कमरा, अलग करने वाले दीवार, विद्युतीकरण और सिविल मरम्मत और मौजूदा सुविधा का पुनर्निर्माण शामिल हैं कोष के प्रमुख हिस्से को इनमें खर्च किया जाता है क्योंकि गांव के अधिकांश स्कूल दयनीय स्थिति और असुरक्षित हालत में हैं। स्थानीय सरकारी निकायों और पीटीए (पैरेंट टिचर्स एसोसिएशन) की मदद से सिविल निर्माण कार्य किए जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के मूल में बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने को महत्वपूर्ण मानता है। विद्यालय की सुविधा सुधार के अलावा, मौजूदा स्कूल सुविधाओं के नज़दीक ही सीआरसी (क्लस्टर संसाधन केंद्र) और बीआरसी (ब्लॉक संसाधन केंद्र) का निर्माण किया जाता है।

शिक्षक प्रशिक्षण

सर्व शिक्षा अभियान की प्रमुख पहल है। प्राथमिक शिक्षकों को शिक्षा पद्धति, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा, मूल्यांकन पद्धति और अभिभावक प्रशिक्षण पर सतत शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार के

प्रशिक्षण को प्राथमिक शिक्षकों के चयनित शिक्षक समूह को दी जाती है जिसे बाद में संसाधन व्यक्ति कहा जाता है। शिक्षक प्रशिक्षण के पीछे प्रमुख विचार शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के नए विकासक्रम के साथ शिक्षकों को अद्यतन करना है।

सन्दर्भ

भारत सरकार की कार्यकारी शाखा,वाजपेयी प्रशासन
भारत में शिक्षा,शासकिय प्रतिवेदन भारत सरकार
भारत सरकार 2006 सर्व शिक्षा अभियान अधिसूचना-2004 व 2005 नई दिल्ली भारत सरकार
मट्ट ए 2002 लाकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं जनजातिय नेतृत्व,नई दिल्ली रावत पब्लिकेशंस

<https://www.bhaskar.com/mp/khandwa/news/MP-KHAN-bhaskar-news-khandwa-mad-hya-pradesh-india-5060251-NOR.html>

<https://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/nashik-north-maharashtra-news/nashik/palak-shikshak-sangha/articleshow/60714285.cms>

ग्रामीण विकास मे अथासकीय संस्थाओ की भूमिका, (सीहोर जिले के विशेष संदर्भ में)

सपन रॉय (शोधार्थी)
समाज शास्त्र विभाग
बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय
भोपाल

डॉ. अनीता धुर्वे (निदेशक)
समाज शास्त्र विभाग
बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय
भोपाल

ग्रामीण विकास और स्वयंसेवी संगठन

स्वयंसेवी संगठन ग्रामीण विकास हेतु विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे संगठनों में निःस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले व्यक्तियों का होना आवश्यक है। यदि स्वयंसेवी संस्थाएँ अपनी ही क्षमताओं व संसाधनों के बलबूते पर डटी रहती हैं तो उनकी साख बनती है और उन्हें जनसहयोग मिलता है। ग्रामीण विकास में स्वयंसेवी संस्थाएँ एक अरसे से अग्रणी भूमिका निभाती आ रही हैं। इन्होंने जनता के प्रति सेवा, सरोकार और घनिष्ठता के उत्कृष्ट गुणों का परिचय दिया है। इसके अलावा नये कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने एवं उनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने की क्षमता भी दर्शाई है। इन संस्थाओं ने विकास सम्बन्धी कठिन समस्याओं के समाधान के ऐसे तरीके भी सुझाए हैं जिन्हें सरकार को भी मानना पड़ा है। इन्होंने सरकार को ऐसी परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों को हाथ में लेने के लिए प्रेरित किया है जिन्हें संस्थाओं ने सफलतापूर्वक संचालित किया है। आज विकास के जो परिणाम हैं, चाहे वे शिक्षा के क्षेत्र में हों या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उनमें स्वयंसेवी संस्थाओं का काफी योगदान रहा है। इस तरह के हजारों उदाहरण हैं जो स्वयंसेवी संगठनों के इतिहास को गौरवान्वित करते हैं।

स्वयंसेवी संगठन ढाँचागत विकास

स्वयंसेवी संगठन व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसने स्वयं को एक विधि सम्मत निकाय में संगठित कर लिया हो, ताकि वे संगठित कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक सेवाएँ प्रदान कर सकें। ये संगठन अपनी ही पहल पर अथवा बाहर से प्रेरित होकर, साथ ही आत्मनिर्भर रहकर गतिविधियाँ चलाते हैं। ये संस्थाएँ लोगों की जरूरतें पूरी करने तथा सार्वजनिक क्षेत्र की प्रसार सेवाओं को एक-दूसरे के करीब लाने का प्रयास करती हैं। ग्रामीण कमजा-र वर्गों के न्यायोचित और प्रभावी विकास को अंजाम देने के लिए भी ये संस्थाएँ निरन्तर प्रयत्न करती रहती हैं।

सभी गैर-सरकारी संगठन स्वयंसेवी संस्थाएँ नहीं होतीं। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं का उद्देश्य कमजोर लोगों की मदद कर पुण्य कमाना, ख्याति प्राप्त करना अथवा धर्मार्थ कार्य करना होता है, जबकि कुछ संगठन ज्ञान प्राप्त

करने, विकास के रास्ते सुगम बनाने, आत्मनिर्भर बनाने तथा गरिमा एवं स्वाभिमान से जीवन बिताने के अधिकार को मान्यता देकर कार्य करते हैं।

गैर सरकारी संगठन के अर्थ आवश्यकता तथा प्रकार्य

भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहाँ जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाया जाता है। भारत की स्वाधीनता के साथ ही देश के नए भाग्य विधाताओं ने "कल्याणकारी राज्य" की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए राज्य और केन्द्र की सरकारों का स्वरूप निर्धारित किया था। इन सरकारों के अर्न्तगत जन विकास और कल्याण के लिए अनेक विभाग निर्मित हुए। विभागों के संचालन के लिए बड़े नौकरशाह, अफसर और दीगर कर्मचारियों की फौज नियुक्त की गयी। सरकारी व्यवस्था का जो स्वरूप आज हमें दिखाई देता है, उसका आधार और बनावट का अधिकांश रूप अंग्रेजो से "जैसा-का-तैसा" ले लिया गया है। इसका नतीजा यह हुआ है हमारी शासन व्यवस्था एक अजीब किस्म के द्वैत में काम करने के लिए अभिषप्त हो गयी। जिस नौकरशाही को गरीबों, पीड़ितों और वंचितों के प्रति जवाबदेह बनकर उनके विकास व कल्याण के लिए कार्य करने का जिम्मा सांपै। गया है, वही नौकरशाही, गरीबों, पीड़ितों और वंचितों पर शासन करने की मानसिकता से प्रेरित है। वे उनके प्रति 'स्वामी-भाव' रखने की अश्लील हरकतें करते दिखाई देते हैं। उनके कार्यकाल राजमहल बन गए हैं जहाँ आला-अफसरों की महिला-मंडित जीवन शैली लोकतंत्र का वीभत्स-रस बनकर बहती रहती है। गैर सरकारी संगठनों की आवश्यकता तब और बढ़ गयी जब सरकारी विभागों का स्वरूप कुछ निम्नलिखित प्रकार में बदल गया :-

1. सरकारी विभाग एक तरह की सरकारी संस्कृति की गिरफ्त में आ गए हैं।
2. परिभाषा "जनसेवक" मानने के बजाय "शासक वर्ग" मानी जाने लगी है।
3. पूर्ण कार्यकाल की आकर्षण पूर्ण कैद में रहने का इतना आनंद आता है कि वास्तविक समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रहा।
4. कार्यशैली का स्वरूप जनता से दूर ले जाता है।
5. विकास की समग्रता और निरंतरता से सरोकार रखने की अपेक्षा वे उसके उतने ही अंश से रिश्ता रखते हैं, जितना कि उनकी सेवा से जुड़ा हो।
6. मशीनी जीवन के मातहत कार्य करते हैं।

गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ) ख अर्न्तगत ऐसे समूह व संस्थान आते हैं जो पूर्ण रूप से या अधिकांश रूप से गैर-सरकारी होते हैं। इनका उद्देश्य व्यवसायिक न होकर मुख्यतरु मानव मात्र के कल्याण और सहकारी तौर पर काम करना होता है। औद्योगिक देशों में ये प्रा इवेट एजेंसियां होती हैं ये (एजेंसियां) संगठन अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए सहायता प्रदान करती हैं। यह सहायता प्रादेशिक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर गठित देशीय (ग्रुपों) समूहों और गांवों के सदस्य समूहों को भी प्रदान की जाती है। गैर सरकारी संगठनों के अंतर्गत त ऐसी परोपकारी और धार्मिक संस्थाएं समाविष्ट होती हैं जो विकास कार्यों, खाद्य सामाग्री के वितरण और परिवार नियोजन सेवाओं के विभिन्न और सामुदायिक संगठनों को प्रोत्साहन देने के लिए (गैरसरकारी) निजी तौर पर फंड (पैसे) एकत्रित करती है।

कार्यों का स्वरूप

हमारे देश में अनेक स्वयंसेवी संगठन सभी क्षेत्रों में विकास कार्यों एवं सामाजिक सेवा में भागीदारी निभा रहे हैं। यद्यपि इनकी देशव्यापी गणना एवं विश्लेषण के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं फिर भी एक अनुमान के अनुसार देश में छोटे-बड़े छह लाख संगठन बने हुए हैं। इनमें से कुछ संगठन स्थानीय तौर पर कार्य करते हैं।

रोजगार के क्षेत्र में खादी ग्रामोद्योग संघ का नाम उल्लेखनीय है। यह संगठन लोगों को प्रशिक्षण, वित्त प्रबन्ध, विपणन आदि अनेक सेवाओं में सहयोग करके रोजी-रोटी जुटाने में सहयोग कर रहा है। किसान मजदूर संगठन ने सूचना के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है जिनके परिणामस्वरूप राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर पर ही पंचायतों में जनसुनवाई की पहल की है।

विकास कार्यक्रमों को जनभागीदारी के बिना सफल नहीं बनाया जा सकता है। जनभागीदारी प्राप्त करने के लिए स्वयंसेवी संगठन काफी सहायक हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हजारों की संख्या में संस्थाएँ कार्य कर रही हैं। शिक्षाकर्मी योजना के माध्यम से राजस्थान के उन दुर्गम स्थानों को चुना गया, जहाँ आज भी आवागमन का कोई साधन नहीं है। वहाँ स्थानीय लोगों को प्रेरित कर स्थानीय शिक्षक का चयन कर बच्चों के शिक्षण का कार्य होता है। परिणामस्वरूप सरकार ने भी इस प्रकार के 22 हजार विद्यालय खोले हैं जिससे गाँव-ढाणी में ऐसे स्कूलों की व्यवस्था हुई।

सुलभ इण्टरनेशनल द्वारा शौचालय का निर्माण एवं संचालन का प्रयोग भी देश के विभिन्न भागों में काफी सफल रहा है। सुलभ शौचालयों के माध्यम से दैनिक जीवन की एक महत्वपूर्ण सुविधा का विकास किया गया है। रेडक्रॉस सोसायटी ने चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है और कम लागत पर जरूरतमन्दों को चिकित्सा की आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई है। जल-संग्रहण के लिए भी अनेक संस्थाएँ कार्य कर रही हैं। ये संस्थाएँ स्थानीय लोगों का सहयोग लेकर वर्षा जल को एकत्रित करने की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं। बायफ संस्था ने कुछ क्षेत्रों में रोजगार की दृष्टि से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि का विकास किया है। पशुपालन में भी मदद की है, जिससे लोग आत्मनिर्भर बने हैं।

पंचायतों द्वारा संचालित विकास कार्यों में योगदान

पंचायतीराज कानून में अन्य व्यवस्थाओं के अलावा एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि सभी तरह के विकास कार्यक्रम पंचायतों द्वारा निर्धारित, संचालित तथा कार्यान्वित किए जाएँगे। ऐसा प्रावधान संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के अनुच्छेद 243-जी के अन्तर्गत किया गया है। परन्तु इतने बड़े पैमाने पर कार्य करने का अनुभव शायद ही किसी पंचायत संस्था को है और यही सबसे बड़ी चुनौती भी है। इसका एक कारण यह भी है कि अभी तक सरकारी एजेंसियाँ विकास के कार्य या तो स्वयं करती थीं या ठेकेदारों के माध्यम से करवाती थीं। दूसरी तरफ स्वयंसेवी संस्थाओं को विकास कार्य करने का अनुभव होता है इसलिए वे पंचायतों को अपना सहयोग दे सकती हैं। आज की स्थिति में समय की माँग है कि पंचायत तथा स्वयंसेवी संस्थाएँ एक-दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करें। पंचायतीराज कानून में अन्य व्यवस्थाओं के अलावा एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि सभी तरह के विकास कार्यक्रम पंचायतों द्वारा निर्धारित, संचालित तथा कार्यान्वित किए जाएँगे। ऐसा प्रावधान संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के अनुच्छेद 243-जी के अन्तर्गत किया गया है। परन्तु इतने बड़े पैमाने पर कार्य करने का अनुभव शायद ही किसी पंचायत संस्था को है और यही सबसे बड़ी चुनौती भी है। स्वयंसेवी संस्थाओं को विकास कार्य करने का अनुभव होता है इसलिए वे पंचायतों को अपना सहयोग दे सकती हैं। अब हम यह देखेंगे कि ऐसे कौन-कौन से कार्य हैं जिनमें

पंचायतें स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग ले सकती हैं। इन प्रश्नों के जवाब के लिए सर्वप्रथम स्वैच्छिक संस्थाओं की अनुभव क्षमता को ध्यान में रखना पड़ेगा। सामाजिक क्षेत्र में इन संगठनों का बड़ा महत्व है क्योंकि कितने ही सामाजिक कार्य ऐसे हैं जो सरकार नहीं कर सकती, न ही कानून द्वारा सामाजिक समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। सामाजिक क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र भी खुले हुए हैं जो स्वैच्छिक संगठनों का कार्यक्षेत्र बन सकते हैं जैसे— ग्रामीण साक्षरता, परती भूमि विकास, आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग, गैर-पारम्परिक ऊर्जा का विकास, गाँव, घर एवं आसपास की स्वच्छता, सामाजिक वानिकी, भूमि एवं जल परिरक्षण, मूलभूत अधिकारों के प्रति चेतना, टीकाकरण, परिवार नियोजन के प्रति चेतना जागृत करना, गाँवों में योजनाओं का निर्माण व क्रियान्वयन, जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना, प्राकृतिक आपदाओं जैसे— बाढ़, भूकम्प, तूफान में पुनर्वास की व्यवस्था, विकलांगकृ मूक-बधिर एवं नेत्रहीनों का पुनर्वास, सांप्रदायिकता एवं जातीयता को रोकना, महिला विकास, बाल विकास, छुआछूत मिटाना, दहेज प्रथा का विरोध, बाल श्रमिक प्रथा खत्म करना, नशीले एवं मादक पदार्थों का सेवन बन्द करना, बन्धुआ मजदूरी खत्म करना, भ्रामक धारणाएँ खत्म करना आदि।

प्रभावी संचार तन्त्र

ऐसी अनेक जनोपयोगी योजनाएँ हैं, जिन्हें स्वयंसेवी संस्थाएँ सुचारु रूप से अंजाम देती हैं। इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं की लोगों में पैठ एवं प्रभावी संचार प्रणाली का योगदान होता है। संस्थाओं के अधिकांश लोग सेवा भाव से प्रेरित होकर समाजोपयोगी कार्य करते हैं। परिणामस्वरूप ये लोग जनसहयोग और जनसहभागिता के माध्यम से जनसम्पर्क बढ़ाकर गरीब, पिछड़ों एवं जरूरतमन्दों को राहत पहुँचाते हैं। इन संस्थाओं के व्यवहार एवं कार्यप्रणाली में लचीलापन आ जाता है। ये अपनी कार्यप्रणाली एवं नीतियों में समय-समय पर परिवर्तन कर सफलता प्राप्त करते हैं।

अब यह विचार किया जाना चाहिए कि वे कौन-कौन से कार्य हैं जिनमें स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद आवश्यक होगी एवं यह मदद किस प्रकार मिल सकती है। यह निम्न है रु

1. जानकारी उपलब्ध कराना रु जानकारी को शक्ति माना गया है। जिनके पास ज्यादा जानकारी है, वही अधिक क्षमता और सक्रियता रखता है। इसलिए पंचायतों को भी कई तरह की जानकारियाँ रखनी पड़ेंगी। विकास के कार्यक्रम, सरकार की नीति, धन की उपलब्धता, संसाधन आदि की जानकारियों को स्वयंसेवी संस्थाएँ इकट्ठा कर पंचायतों को बता सकती हैं।

2. गाँव से जिला स्तर की योजना बनाना रु पंचायतीराज संस्थाओं में अपने स्तर पर विकास योजनाएँ बनाने का प्रावधान है। यह प्रक्रिया सरल नहीं है। अगर पंचायतों के प्रतिनिधि इन कार्यों को करने में सक्षम नहीं होंगे तो फिर विकास के वांछित लक्ष्य से पीछे छूट जाएँगे। इस कार्य में स्वयंसेवी संस्थाओं के व्यापक अनुभव का लाभ पंचायतों को मिल सकता है।

3. योजनाओं का क्रियान्वयन रु अभी तक सरकार विकास कार्य ठेकेदारों के माध्यम से कराती रही है। इसलिए विकास का पैसा ठेकेदारों की जेब में तथा ताम-झाम पर खर्च हो जाता है, जबकि स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता एवं व्यापक अनुभव से ये पंचायतों की मदद कर सकते हैं।

4. मूल्यांकन तथा प्रबोधन रू स्वयंसेवी संस्थाएँ समय-समय पर परियोजना के विभिन्न चरणों में कार्य का प्रबन्धन तथा मूल्यांकन करती हैं, ताकि कहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा हो तो उसे समय रहते सुधारा जा सके। अतः मूल्यांकन तथा प्रबोधन के कार्यों में भी संस्थाएँ मदद कर सकती हैं।

5. प्रशिक्षण रू पंचायतों के ज्यादातर चुने हुए लोग अनुभवहीन एवं अनपढ़ होते हैं, कुछ कम पढ़े-लिखे भी। पंचायत के हर कार्य के लिए प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलम्बी बनाया जा सकता है। स्वयंसेवी संस्थाओं के पास प्रशिक्षण की कई विधियाँ होती हैं जिससे सभी वर्गों को लाभ मिल सकता है।

6. तकनीकी विशेषता रू स्वयंसेवी संगठनों के पास कम खर्चीला तकनीकी ज्ञान एवं विशेषता उपलब्ध होती है। पंचायतें उसे प्राप्त कर सकती हैं। पंचायतों एवं स्वयंसेवी संगठनों को एक-दूसरे के पूरक तथा सहयोगी के रूप में कार्य करना होगा। एक-दूसरे पर विश्वास करना होगा। खुलेपन एवं पारदर्शिता से कार्य करने पर ही सफलता मिलेगी।

अत्याधिक लालफीताशाही के नियमों में संशोधन अत्यावश्यक है।

हालांकि, गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय एवं प्रभावशाली भूमिका के कारण राष्ट्रीय विकास में इसकी भूमिका को स्वीकार किया गया है लेकिन संसाधनों एवं वित्त की उपलब्धता के बारे में लालफीताशाही के कारण गैर सरकारी संगठनों एवं सरकार के बीच का संबंध याचक एवं दाता के रूप में स्थापित हो जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि यह संबंध साझेदारी एवं सहभागिता का हो। साथ ही इस बात की भी आवश्यकता है कि स्वयंसेवी संस्थाओं को भी जिम्मेदारी के मानक तय करके उनके अनुसार कार्य करने एवं अपने कार्यों में पारदर्शिता बनाये रखनी होगी। यदि हमें ग्रामीण स्तर पर गरीब लोगों को लाभान्वित करना है तो सरकारी विभागों को भी स्वयंसेवी संगठनों के साथ कार्य करने में पारदर्शिता बनाये रखनी होगी। किसी भी कार्य के लिये सरकार पर अतिनिर्भरता एवं सामुदायिक सहभागिता के अभाव के अनेक दुष्परिणाम सामने आये हैं। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि सरकार जितना खर्च करती है उसके अनुपात में समुदाय को लाभ प्राप्त नहीं होता। इसके कारण काफी हद तक राजनैतिक भी हैं क्योंकि उनका ज्यादा समय अपने संगठन को बनाए व बचाए रखने एवं दूसरे गलों के संगठनों के साथ संघर्ष में व्यतीत होता है जिसके कारण वे संरचना यानि रचनात्मक कार्य में पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते। स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो सकती है। सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं के स्थायित्व एवं कम लागत पर लोगों तक पहुंचाने का कार्य स्वयंसेवी संगठन कर सकते हैं। लेकिन इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि अनैतिक आचरण एवं भ्रष्टाचार में लिप्त स्वयंसेवी संगठनों पर भी लगाम कसनी आवश्यक है।

ग्रामीण स्तर पर विकास एवं गरीब से गरीब व्यक्ति तक उसका फायदा बिना जनसेवा की भावना एवं स्वयंसेवी संगठनों की सक्रिय भागीदारी के नहीं हो सकता। उत्तराखंड राज्य में अगर हम स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका की बात करें तो इस क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति के कारण इस क्षेत्र में स्वयंसेवी संस्थाओं की भी विशिष्ट भूमिका हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्र में प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बावजूद उनके समुचित प्रबंधन एवं नियोजन के अभाव में यहां की जनता इसका लाभ प्राप्त नहीं कर पा रही है।

सन्दर्भ—

1. "25 YEARS OF DEDICATION TO RURAL PROSPERITY"- Nabard-org- अभिगमन तिथि 2010-09-01.
2. Development Bank with a mandate for facilitating credit flow"- Nabard-org- अभिगमन तिथि 2010-09-01.
3. "Nabard Rural Innovation Fund | Agriculture and Industry Survey"- Agricultureinformation-com- अभिगमन तिथि 2010-09-01.
4. ईडीए (EDA) और एपीएमएस (APMAS) सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स इन इंडियारु अ स्टडी ऑफ़ द लाइट्स एंड शेड्स, केयर (CARE), सीआरएस (CRS), यूएसएआईडी (USAID) एंड जीटीजेड (GTZ), 2006, पृष्ठ 11
5. "Nabard can help change face of rural India"- द हिन्दू Business Line- 2010-06-28. अभिगमन तिथि 2010-09-01.
6. "NABARD – SDC rural innovation fund"- Indiamicrofinance-com- अभिगमन तिथिरु 2010-09-01.
<http://hi-vikaspedia-in@social&welfare>